



प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल
 "चयन भवन", मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल 462011
 फोन नं.— +91-755-2578801-02-03-04, Fax: +91-755-2550498,
 E-mail: vyapam @mp.nic.in, website: www.vyapam.nic.in, www.peb.mp.gov.in

समूह—5 के अन्तर्गत फार्मासिस्ट, प्रयोगशाला तकनीशियन, रेडियोग्राफर, नेत्र सहायक, सहा. पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, प्रयोगशाला सहा.(औषधि), महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) एवं अन्य रिक्त पदों की पूर्ति हेतु भर्ती परीक्षा—2017

परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम पुस्तिका

ऑनलाईन आवेदन—पत्र				
भरने की प्रारम्भ तिथि	: 27 -02-2017			
आवेदन में संशोधन करने की प्रारम्भ तिथि	: 27 -02-2017			
परीक्षा दिनांक व दिन	1-2 अप्रैल 2017 शनिवार, रविवार			
परीक्षा शुल्क				
सीधी भर्ती पदों हेतु	अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिये (केवल म.प्र. के मूल निवासियों के लिये) रु. 500/- प्रति प्रश्न पत्र रु. 250/- प्रति प्रश्न पत्र			
	बैगा, सहारिया एवं भारिया विशेष अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एम.पी. ऑनलाईन का पोर्टल शुल्क रु. 70/- देय होगा। कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन—पत्र न भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु पोर्टल शुल्क रु. 40/- देय होगा।			
आनलाईन परीक्षा पद्धति समय सारणी				
परीक्षा दिनांक एवं दिन	परीक्षा की पाली	अभ्यर्थियों के लिये रिपोटिंग समय	महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय	उत्तर अंकित का समय
1-2 अप्रैल 2017 शनिवार, रविवार	एक	प्रातः 07:30 बजे	08:50 से 09:00 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः 09:00 से 11:00 बजे तक (2:00 घंटे)
	द्वितीय	दोपहर 1:30 बजे	02:50 से 03:00 बजे तक (10 मिनट)	दोपहर 03:00 से 05:00 तक (2:00 घंटे)
कोई शुल्क नहीं				

टिप्पणी :—

- परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोटिंग समय के 30 मिनट पश्चात तक परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके पश्चात विलम्ब से आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- परीक्षा कक्ष में मोबाइल फोन, कैल्कुलेटर, लॉग टेबल्स, नकल पर्चा एवं इलेक्ट्रॉनिक डिवाईस आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।
- ऑनलाईन आवेदन—पत्र क्रमांक के द्वारा ही लिखित परीक्षा हेतु अस्थर्थी अपना प्रवेश—पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन—पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त/जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।
- परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को काला बॉलप्वाइट पेन (उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर एवं अन्य लिखित कार्य हेतु) तथा परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मंडल की बैबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश—पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
- पी.ई.बी. द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अस्थर्थी मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेस, अंकसूची मय फोटोग्राफ, तथा पासपोर्ट में से कोई एक को चयनित कर सकता है। ई आधार मान्य नहीं है।
- मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में उसे परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।
- मध्यप्रदेश के विशेष आदिम जनजाति समुदाय जैसे बैगा, सहारिया एवं भारिया अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को अकार्यपालिक पदों के लिये अपने आवेदन पत्र समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न करते हुये हॉर्डकॉपी में निर्धारित (नियम पुस्तिका के प्रारूप—5 में) आवेदन—पत्र भरने की अंतिम तिथि तक पी.ई.बी. को न भेजते हुये सीधे संबंधित विभाग को मैं पृथक — पृथक पदों हेतु पृथक — पृथक आवेदन प्रेषित करना होगा। पी.ई.बी. को प्रेषित आवेदन पत्र अमान्य माना जायेगा।

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल, म0प्र०

चयन भवन, मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल - 462011


फोन नं. 0755-2578801, 02, 03, 04 फैक्स : 0755-2550498

ई-मेल : vyapam@mp.nic.in वेबसाइट : www.vyapam.nic.in

समूह-5 के अन्तर्गत फार्मासिस्ट, प्रयोगशाला तकनीशियन, रेडियोग्राफर, नेत्र सहायक, सहा. पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, प्रयोगशाला सहा.(औषधि), महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) एवं अन्य रिक्त पदों की पूर्ति हेतु भर्ती परीक्षा-2017

विषय-सूची

सं. क्र.	अध्याय	विवरण	पृष्ठ क्र.
1.	1	सामान्य प्रशासन विभाग की नियमावली (समूह परीक्षा हेतु)	03-13
2.	2	विभागवार रिक्त पदों का विवरण तथा आरक्षण तालिका	14-25
3.	3	प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की परीक्षा संचालन संबंधी नियमावली	26-43
4	4	परीक्षा का पाठ्यक्रम	44-77
5.	प्रारूप-1	प्रश्न-पुस्तिका के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन पत्रक	78
6.	प्रारूप-2	आदर्श उत्तरों पर आपत्ति हेतु अभ्यावेदन पत्रक	79
7	प्रारूप-3	आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तालिपि पत्रक	80
8	प्रारूप-4	यात्रा देयक प्राप्ति के लिये स्वयं के बैंक खाता विवरण पत्रक	81
9	प्रारूप-5	बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप	82
10	प्रारूप-6	प्रमाण पत्र	83



सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

क्रमांक सी 3-10/2013/1/3 : : भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, राज्य शासन के विभिन्न विभागों/संस्थाओं से संबंधित उन पदों पर, जिन्हें कि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर रखा गया है, संयुक्त चयन परीक्षा के माध्यम से, भर्ती के लिए तथा मानदण्ड नियत करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ -

- (1.) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "मध्यप्रदेश कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा नियम, 2013" है।
- (2) ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ - इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

- (क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है वह प्राधिकारी जो कि संबंधित पद पर नियुक्ति करने के लिए सक्षम है;
- (ख) "न्यूनतम अर्ह अंक" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा में अर्ह होने के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक;
- (ग) "सरकार" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सरकार;
- (घ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश के राज्यपाल;
- (ड.) "संस्था" से अभिप्रेत है शासकीय विभागों द्वारा विनियमित विभिन्न निगम/मण्डल/आयोग/बोर्ड/संस्थाएँ;
- (च) "कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा" से अभिप्रेत है उन सभी पदों पर भर्ती के लिए, जिन्हें कि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर रखा गया है, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा संचालित परीक्षा;
- (छ) "सफल अभ्यर्थियों की सूची" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा में न्यूनतम अर्ह अंक तक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की अवरोही क्रम में सूची;
- (ज) "अन्य पिछड़े वर्गों" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-85/पच्चीस/484 दिनांक 26 दिसंबर, 1984 में यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;
- (झ) "शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति" से अभिप्रेत है निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के उपबंधों के अधीन आने वाले व्यक्ति;
- (झ) "पद" से अभिप्रेत है राज्य के विभिन्न विभागों/संस्थाओं के वे समस्त पद जो कि लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर हैं;
- (ट) "भर्ती वर्ष" से अभिप्रेत है संबंधित वर्ष की 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की कालावधि;

23/10/2013
गुरुवार

- (ठ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा ऐसी जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;
- (ड.) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;
- (ढ) "राज्य" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य;
- (ण) "उपक्रम" से अभिप्रेत है राज्य के मण्डलों, निगमों, आयोगों, स्वायत्तशासी निकायों, सोसाइटियों, सहकारी बैंकों के रूप में घोषित उपक्रम;
- (त) "व्यापम" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल;
3. लागू होना :-
- (१) ये नियम राज्य के सभी विभागों/संस्थाओं को लागू होंगे।
 - (२) सरकारी विभागों, विभागाध्यक्षों तथा संस्थाओं के कार्यालयों से संबंधित सभी पदों को भरने के लिए चयन, मण्डल द्वारा, उसके द्वारा नियम मानदंडों के अनुसार किया जाएगा। सभी विभागों/संस्थाओं को ऐसे चयन, उनके स्वयं के स्तर पर या किसी अन्य अभिकरण के माध्यम से संचालित करवाया जाना प्रतिबंधित रहेगा।
 - (३) इन नियमों में अभिव्यक्त उपबंधों का मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्त) नियम, 1961 पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं होगा।

4. विभागीय भर्ती नियमों को मान्यता प्रदान किया जाना : -

वे समस्त उपबंध जो इन नियमों में जोड़े गए हैं, और जो वर्तमान में विभागीय भर्ती नियमों में समायोजित नहीं किए गए हैं, संशोधित किए जाएंगे और सभी विभागों द्वारा अपने विभागीय भर्ती नियमों में सम्मिलित किए जाएंगे और तब तक जब तक कि विभागीय भर्ती नियम संशोधित नहीं हो जाते इन नियमों के उपबंध संशोधित समझे जाएंगे।

5. अर्हकारी अंक: -

- (१) मण्डल द्वारा संचालित परीक्षा में, केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में सम्मिलित किए जाएंगे जिन्होंने नियम 7 में समूहवार निर्धारित कुल अंकों में से न्यूनतम अंक प्राप्त किए हों। इस प्रयोजन हेतु अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 50 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिए 10 प्रतिशत तक अंकों की छूट देते हुए 40 प्रतिशत न्यूनतम अर्हता अंक होंगे।
- (२) इन नियमों के अधीन संचालित परीक्षा के परिणामों में, अर्हकारी सूची में केवल पात्र अभ्यर्थियों को ही रखा जाएगा परंतु पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं होगा जब तक कि -
 - (क) कोई विभाग/उपक्रम रिक्त पद के लिए मण्डल से कोई मांग नहीं करता है ;
 - (ख) अभ्यर्थी का नाम मांगकर्ता विभाग/उपक्रम को भेज नहीं दिया जाता है;
 - (ग) अभ्यर्थी ने नियुक्ति के लिए मण्डल द्वारा निर्धारित समस्त पात्रता को पूर्ण न कर लिया हो; और
 - (घ) विभाग ने अभ्यर्थी के पक्ष में नियुक्ति आदेश जारी न कर दिया हो।

6. विस्तार :-

- (1) राज्य के सभी विभाग/उपक्रम उनकी रिक्तियों को मण्डल द्वारा अंतिम रूप प्रदान की गई सफल अभ्यर्थियों की सूची में से भरेंगे जिसमें कण्डिका 6 में यथा उल्लिखित भविष्य में सृजित किए जाने वाले पद भी सम्मिलित हैं।
- (2) मण्डल, पात्र अभ्यर्थियों के नाम, यदि उनके द्वारा ऐसी मांग की जाए तो सभी विभागों/संस्थाओं/निगमों/मण्डलों/आयोग/स्वायत्तशासी निकायों/सोसाइटियों/सहकारी बैंकों को भी अग्रेषित करेगा।

7. सेवा समूह :-

सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय बल्लभ भवन, भोपाल के संशोधन परिपत्र क्रमांक 74, भोपाल दिनांक 16 फरवरी 2015 के अनुसार कण्डिका 7 सेवा समूह एवं क्र. 6 दिनांक 10 फरवरी 2017 में संशोधन किया गया है। विभिन्न पदों के लिए सेवा समूह, जिनके कि लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी, नीचे दी गई गई तालिका में दिए गए अनुसार होंगे, अर्थात् -

तालिका

		समूह-5 के अन्तर्गत फार्मासिस्ट, प्रयोगशाला तकनीशियन, रेडियोग्राफर, नेत्र सहायक, सहा. पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, प्रयोगशाला सहा.(औषधि), महिला बहुउद्देशीय स्वारक्षण कार्यकर्ता,(ए.एन.एम.) एवं अन्य रिक्त पदों की पूर्ति हेतु भर्ती परीक्षा-2017		तृतीय श्रेणी
1.	पाँच			

8. विभाग/उपक्रमों के मांग पत्र – सभी विभाग/उपक्रम ऐसे समस्त पदों के लिए जो कि भरे जाने हैं तथा जिनके आगामी भरती वर्ष में रिक्त होने की समावना है, मांग पत्र मण्डल को प्रत्येक भरती वर्ष के 30 सितंबर तक अनिवार्य रूप से भेजेंगे।

- (2) विभाग/उपक्रम मण्डल को मांगपत्र निम्नलिखित जानकारी के साथ भेजेंगे : –
 - (क) मण्डल के मांगपत्र में भरे जाने वाले पदों के लिए प्रस्ताव;
 - (ख) परीक्षा के लिए संबंधित नोडल अधिकारी के पद का नाम तथा पता;
 - (ग) राज्यपत्र में प्रकाशित भरती नियम की एक प्रति;
 - (घ) आरक्षित वर्ग के पदों का विवरण दर्शाने वाली तालिका।

9. परीक्षा का आयोजन :-

ऊपर नियम 7 में उल्लिखित सेवा समूह – 5 के लिए परीक्षा विभिन्न विभागों के लिए मण्डल द्वारा अंतिम रूप प्रदान किए गए पाठ्यक्रम के आधार पर प्रत्येक संवर्ग / पद के लिए आयोजित की जाएगी।

संयुक्त अर्हता परीक्षा योजना नीचे तालिका में दिए गए अनुसार होगी अर्थात् – तालिका ऑनलाईन परीक्षा पद्धति के लिये

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	पाँच	01	100	सामान्य ज्ञान, सामान्य हिन्दी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य अभिरुचि एवं तकनीकी ट्रेड पर आधारित प्रश्न	100

10. पात्रता की शर्तें यथा शैक्षणिक/तकनीकी/व्यावसायिक अर्हताएं :-



- (1) अभ्यर्थी को उसके द्वारा अपना आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को मांगकर्ता विभाग के विभागीय भरती नियमों के उपबंधों के अनुसार शैक्षणिक/तकनीकी/व्यावसायिक अहता धारण करना अनिवार्य होगा, इस प्रकार की योग्यता का उल्लेख मांगकर्ता विभाग द्वारा मण्डल को भेजे गए मांग पत्र में अनिवार्य रूप से करना होगा। पदों के विभिन्न समूहों की परीक्षा के लिए निम्नलिखित शैक्षणिक अहता अनिवार्य होंगी, अर्थात् –

समूह – पाँच

अभ्यर्थी ने हायर सेकेण्ट्री परीक्षा (10+2) विज्ञान विषय के साथ उत्तीर्ण की हो तथा उसके पास संबंधित पद के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र/पत्रोपाधि (डिप्लोमा) हो।

- (2) अभ्यर्थियों को आवेदित पद के लिए प्राथमिकता अंकित करनी होगी। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा में अह हो जाता है तथा मण्डल द्वारा उसकी अभ्यर्थियों की अनुशंसा की जाती है तथा यदि वह नियुक्ति के लिए निर्धारित मानदण्डों को पूर्ति नहीं करता है और उसे नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया जाता है तो ऐसी दशा में उसकी अभ्यर्थिता नामंजूर हो जाएगी और वह अन्य पद के लिए अहस्तांतरणीय होगी तथा इसका पूर्ण दायित्व संबंधित अभ्यर्थी का होगा न कि मण्डल का।

- (3) **आयु सीमा :** –

उन समस्त पदों के लिए जिनके कि लिए मण्डल संयुक्त कनिष्ठ सेवा अहता परीक्षा आयोजित कर रहा है, न्यूनतम आयु-सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु-सीमा 40 वर्ष होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्गों, विभागों/नियमों/मण्डलों/आयोगों/स्वायत्तशासी निकायों/होमगार्ड में कार्यरत शासकीय सेवकों तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 45 वर्ष होगी। अधिकतम आयु सीमा के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी संशोधन लागू समझे जाएंगे। आयु सीमा की गणना भरती के चालू वर्ष की 1 जनवरी की स्थिति में की जाएगी :

परंतु अधिकतम आयु सीमा गृह (पुलिस), आबकारी तथा जेल विभाग के कार्यपालक पदों के लिए लागू नहीं होगी। ऐसे विभागों के कार्यपालक पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा उनके भरती नियमों में विहित किए गए अनुसार लागू होगी :

परंतु यह और कि अधिकतम आयु सीमा में छूट जो कि शारीरिक रूप से विकलांग/भूतपूर्व सैनिक को प्रदान की जानी है, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/दिशा निर्देशों के अनुसार होगी:

परंतु यह भी कि सभी प्रकार की छूट सम्मिलित करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के संशोधन परिपत्र क्रमांक 74, भोपाल दिनांक 16 फरवरी 2015 के अनुसार कंडिका 10 में उपनियम-03 के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया गया है, जो निम्नानुसार है –

- (क) विभिन्न विभागों के पदों एवं उनकी योग्यता आदि भिन्न-भिन्न रहती है, विषयवार परीक्षा आयोजन करने के कार्य को सुगम बनाने की दृष्टि से, प्रोफेशनल एंजीनियरिंग बोर्ड, भोपाल संलग्न परिशिष्ट (कंडिका-07 सेवा समूह) में अंकित समूहों में वर्णित उप समूहों के अनुसार परीक्षा आयोजित कर सकेगा, इसे साथ-साथ वर्णित पदों की वांछित योग्यता/अनुभव को विभागों की आवश्यकता को देखते हुए यदि किसी समूह के पद को अन्य समूह में रखते हुए परीक्षा आयोजित करता है तो वह कार्य भी व्यावसायिक परीक्षा मंडल कर सकेगा।
- (ख) कुछ विभागों के पदों में विभिन्न प्रकार के तकनीकी स्वरूप की दक्षता चाही जाती है जो केवल लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाना संभव नहीं होता है उदाहरणस्वरूप स्टेनोग्राफर, स्टेनोटायपिस्ट आदि, ऐसे मामलों में प्रोफेशनल एंजीनियरिंग बोर्ड आवश्यकता

[Signature]

के अनुरूप यह निर्णय करेगा कि परीक्षा में इस प्रकार की तकनीकी दक्षता का आंकलन करने के लिए अतिरिक्त स्तर की परीक्षा आयोजित की जा सके वे उसमें न्यूनतम कट ऑफ अंक नियत किये जाकर जो पात्रता में अंक प्राप्त होंगे वे अंक प्रथम चरण की परीक्षा में जोड़कर अंतिम मेरिट सूची तैयार की जाएंगी।

11. अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जाना :-

- (1) मण्डल एक विज्ञापन जारी करके प्रत्येक समूह या पद के लिए प्रतिवर्ष संयुक्त परीक्षा आयोजित करेगा जिसमें आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख का उल्लेख किया जाएगा, अभ्यर्थी अपने आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाईन या जैसा कि मण्डल द्वारा निर्देशित किया जाए, प्रस्तुत करेंगे। आवेदन नियत तारीख तक कार्यालय समय में मण्डल के कार्यालय में आवश्यक रूप से पहुंचना चाहिए;
- (2) नियत अंतिम तारीख के पश्चात् प्राप्त आवेदन निरस्त माने जाएंगे तथा मण्डल अभ्यर्थियों को कोई लिखित जानकारी देने का दायी नहीं होगा।
- (3) अभ्यर्थी एक से अधिक पद के लिए विकल्प दे सकेगा और वह अपनी प्राथमिकता उल्लेखित कर सकेगा और विभाग/कार्यालय और पद के लिए भी अपना अधिमान चिह्नित कर सकेगा।
(नोट:- अध्याय-2 पृष्ठ क्र. 14 को देखें)
- (4) अभ्यर्थी पृथक् रूप से एक से अधिक समूह की परीक्षा के लिए उपस्थित हो सकेगा यदि उसके पास ऊपर वर्णित पद के लिए समुचित अर्हता हो। विभिन्न पदों के लिए उसे पृथक् आवेदन फार्म जमा करना होगा और समूहवार चयन परीक्षा में पृथक्-पृथक उपस्थिति होना होगा।

12. मण्डल द्वारा परीक्षा परिणामों की घोषणा और सफल अभ्यर्थियों की सूची जारी करना:-

- (1) मण्डल, परीक्षा के चालू वर्ष के 30 अप्रैल तक अपने परिणाम घोषित कर देगा और गुणागुण के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की सूची तथा नियम 7 में तथा वर्णित समूहों के लिए विभागों के अधिमान भी जारी करेगा।
- (2) मण्डल, सफल अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर उनकी एक संयुक्त सूची जारी करेगा जिसमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/ महिलाओं/शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों/भूतपूर्व सैनिकों को खुली श्रेणी में रखा जाएगा।
- (3) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग का कोई उम्मीदवार अपनी योग्यता के आधार पर अनारक्षित (ओपन) सूची में स्थान प्राप्त कर लेता है तो उसकी अनारक्षित श्रेणी में गणना की जायेगी और ऐसे उम्मीदवार को उसकी संबंधित आरक्षित प्रवर्ग की संख्या में नहीं जोड़ा जावेगा।
- (4) आरक्षित श्रेणी का कोई अभ्यर्थी अनारक्षित पदों के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा यदि वह बिना किसी छूट के अनारक्षित अभ्यर्थी के समान अर्ह पाया जाता है। ऐसे अभ्यर्थी को आयु संबंधी छूट प्राप्त नहीं होगी।
- (5) आरक्षण का लाभ देते हुए संयुक्त खुली सूची जारी करने के पश्चात् अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के सफल अभ्यर्थियों की पृथक्-पृथक सूची जारी की जाएगी जिसमें संबंधित आरक्षित श्रेणी के पात्र अभ्यर्थियों के नाम होरिजेन्टल आरक्षण के अनुसार भी सम्मिलित किए जाएंगे।
- (6) यदि आरक्षित श्रेणी का कोई अभ्यर्थी अर्थात् महिला/भूतपूर्व सैनिक/शारीरिक रूप से निःशक्त अभ्यर्थी जो अपनी योग्यता के आधार पर अनारक्षित श्रेणी में स्थान प्राप्त कर लेता है तो उसकी गणना अनारक्षित/बिना वर्ग/ओपन श्रेणी में की जाएगी। इसके बाद प्रवर्गवार सूची में अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण, संबंधित प्रवर्ग के अभ्यर्थी को ही दिया जाएगा। अनुसूचित जातियों/जनजातियों/अन्य पिछड़े

50

वर्गों/महिलाओं, शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्ति और भूतपूर्व सैनिक संबंधित श्रेणी कम्पार्टमेंट में स्थान प्राप्त कर सकेंगे।

- (7) समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की आपसी सहवरिष्टता लिखित परीक्षा में अंकों के आधार पर निर्धारित की जावेगी। लिखित परीक्षा में भी अंक समान होने पर आयु के आधार पर आपसी सहवरिष्टता निर्धारित की जावेगी। यह आवश्यक नहीं है कि अन्तिम ब्लॉड मार्क पर समान अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को चयन सूची में लाया जावे।

13. नियुक्ति के लिए मण्डल की अनुशंसाएँ –

- (1) मण्डल उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के नामों की, नियम 10 के उपनियम (1) के अनुसार मूल रिक्तियों के पदों के अनुसार, संबंधित विभागों में नियुक्ति के लिए अनुशंसा करेगा।
- (2) संबंधित विभाग अर्हता से संबंधित अपेक्षित दस्तावेजों का परीक्षण करेगा और मण्डल द्वारा भेजे गए अभ्यर्थियों के नामों की औपचारिकताएँ पूरी करेगा तथा नियुक्ति आदेश जारी करेगा।
- (3) चयनित अभ्यर्थी को एक विभाग आवंटित किया जाएगा जहाँ अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश में उल्लेखित अंतिम तारीख तक पदभार ग्रहण करना होगा। ऐसा न करने पर संबंधित परीक्षा में उसकी अभ्यर्थिता स्वतः ही रद्द हो जाएगी।
- (4) यदि किसी विभाग/विभागाध्यक्ष/कार्यालय द्वारा पूर्व में निर्धारित अवधि तक रिक्तियों की जानकारी नहीं दी गई हो तो संबंधित समूहों के अंतर्गत ऐसी उपलब्ध अनुमानित रिक्तियों की जानकारी जो वर्ष के दौरान वास्तविक रिक्तियों में परिवर्तित होंगी, विभागों द्वारा मण्डल को किसी भी स्थिति में परीक्षा वर्ष के 15 जुलाई तक उपलब्ध करानी होगी। शेष अभ्यर्थियों से जिनके नाम अर्हता सूची में आए हैं, उनके विभागों की प्राथमिकता पूछी जाएगी जिससे मण्डल द्वारा उनके नामों को योग्यता सूची के आधार पर क्रमानुसार संबंधित विभागों को अप्रेषित किया जा सके। मण्डल, विभागों को परीक्षा वर्ष के 15 अगस्त तक नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश देगा। अभ्यर्थी उनके आदेश में उल्लेखित अंतिम तारीख तक उनके चाहे गए आवंटित विभाग में अपना पदभार ग्रहण करने के दायित्वाधीन होंगे। यदि अभ्यर्थी ऐसा नहीं करना है तो संबंधित परीक्षा में उसका चयन स्वतः ही रद्द हो जाएगा।

14. सफल अभ्यर्थियों की अंतिम सूची की विधिमान्यता की अवधि : -

- (1) किसी भर्ती वर्ष में परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की अंतिम सूची, अंतिम सूची की घोषणा होने की तारीख से 18 मास के लिए विधिमान्य होगी किन्तु आगामी वर्ष की परीक्षा के परिणाम घोषित हो जाने के पश्चात् अविधिमान्य हो जाएगी।
- (2) मण्डल, अंतिम सूची की विधिमान्यता की समाप्ति के 6 मास पूर्व अर्थात् जनवरी मास तक आगामी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर देगा।
परन्तु सफल अभ्यर्थियों की, नयी अंतिम सूची जारी होने की तारीख तक, यदि मण्डल ने संबंधित विभागों को अभ्यर्थियों के नाम भेज दिए हैं तो विभाग अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी कर सकेगा और नयी सूची पूर्व की सूची को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगी।
- (3) मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र. एफ 3-17/2014/1/3 भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर, 2014 के द्वारा व्याप्त की परीक्षाओं में चयनित अभ्यर्थियों को समय सीमा में नियुक्ति आदेश प्रदाय किये जाने संबंधी निर्देश दिये गये हैं। जिसके अन्तर्गत व्याप्ति के माध्यम से चयन सूची जारी होने के दिनांक से अधिकतम तीन माह के भीतर चयनित उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश जारी करना सुनिश्चित किया गया है।

23/07/2022
मुमुक्षु

15. प्रमाण पत्रों का सत्यापन तथा नियुक्ति की प्रक्रिया :-

- (1) परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की अंतिम सूची के आधार पर विभाग, शैक्षणिक, तकनीकी और व्यावसायिक अहताओं की उपाधि/पत्रोपाधि/प्रमाणपत्रों का सत्यापन करेगा। यदि अभ्यर्थियों के लिए कोई विभागीय परीक्षा आयोजित किए जाने की आवश्यकता है तो संबंधित विभाग द्वारा उसे आयोजित किया जाएगा तथा ऐसी परीक्षा मण्डल द्वारा आयोजित नहीं की जाएगी।
- (2) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार नियुक्ति के संबंध में आवश्यक कार्रवाई, अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों, चरित्र प्रमाण पत्र का सत्यापन आदि की कायवाही सुनिश्चित करना सम्बन्धित विभाग का दायित्व होगा।

16. आरक्षण:-

- (1) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ी वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों के अनुसार, अभ्यर्थियों के लिए निम्नलिखित लंबवत (वर्टीकल) आरक्षण लागू होगा -

अनुसूचित जनजाति	-	20 प्रतिशत
अनुसूचित जाति	-	16 प्रतिशत
अन्य पिछड़ी वर्ग	-	14 प्रतिशत

परन्तु जिला स्तर के पदों पर, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी जिलेवार आरक्षण रोस्टर लागू होगा।

(2) क्षेत्रिज आरक्षण -

- (क) मध्यप्रदेश राजपत्र(असाधारण) क्र 454 दिनांक 17 नवम्बर 2015 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 नियम 3 में उप नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम स्थापित किया गया है :-

किन्हीं सेवा नियमों में, किसी बात के होते हुए भी, राज्य के अधीन सेवा में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर समस्त पदों के (वन विभाग को छोड़कर) तैतीस (33 प्रतिशत) प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे तथा उक्त आरक्षण समस्तर और प्रभागवार (होरिजेन्टल एण्ड कम्पार्टमेंटवाइज) होगा।

- (ख) निःशक्त या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को कुल 6 प्रतिशत दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित एवं अस्थि बाधित के लिए 2-2 प्रतिशत क्षेत्रिज आरक्षण दिया जाएगा।

परन्तु यह आरक्षण संबंधित विभाग द्वारा निःशक्त या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए पहचाने और चिन्हित किए गए पदों के लिए दिया जाएगा।

- (ग) मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी की रिक्तियों में आरक्षण) नियम, 1985 के अनुसार क्रमशः तृतीय श्रेणी, के लिए 10 प्रतिशत तथा चतुर्थ श्रेणी के लिए 20 प्रतिशत क्षेत्रिज आरक्षण प्राप्त होगा।

- (3) (क) समस्त प्रकार के आरक्षित प्रवर्गों की गणना तथा अध्यपेक्षा के प्रारूप में ऐसे आरक्षित पदों के व्यौरों का उल्लेख करने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विभाग पर होगा। मण्डल द्वारा पदों की संख्या की गणना नहीं की जाएगी यदि गणना में कोई त्रुटि पाई जाती है तो मण्डल इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

- (ख) शारीरिक रूप से विकलांग या निःशक्त अभ्यर्थियों में निःशक्तता की प्रतिशतता का सत्यापन चिकित्सीय बोर्ड द्वारा किया जाएगा और भूतपूर्व सैनिकों की दशा में निदेशक, सैनिक कल्याण बोर्ड मध्यप्रदेश द्वारा किया जाएगा और सत्यापन की प्रक्रिया विभाग/विभागाध्यक्ष/संस्था द्वारा ही की जाएगी मण्डल द्वारा नहीं।

*F
PLB
2/21/20
मुख्यमंत्री*

- (ग) उपरोक्त सभी प्रकार के आरक्षण के संबंध में आरक्षित प्रवर्गों को विभिन्न प्रकार की छूट/शिथिलता इस नियम लागू अधिनियमों तथा नियमों के उपबंधों के अनुसार दी जाएगी।

17. आवेदन शुल्कः -

आवेदन शुल्क का विनिश्चय मण्डल की कार्यपालक समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें परीक्षा शुल्क भी सम्मिलित होगा। शुल्क में छूट जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को लागू हैं, मध्यप्रदेश के उन मूल निवासियों को ही लागू होगी जिन्हें सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का घोषित किया गया है :

परन्तु अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित किया गया समझा जाएगा

परन्तु यह और कि ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं और क्रीमी लेयर में आते हैं, आरक्षण के लाभ, आयु सीमा में छूट या इस प्रवर्ग के लिए किसी अन्य लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे।

18. यात्रा भत्ता : -

- (1) सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार उनके यात्रा व्ययों की प्रतिपूर्ति की जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों को, जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए हैं एवं ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें शारीरिक रूप से विकलांग प्रमाणित किया गया हो, को परीक्षा केन्द्र में ही परीक्षा में उपस्थित होने के लिए उनके यात्रा व्ययों की नगद प्रतिपूर्ति की जाएगी। आवेदन की अंतिम तारीख के पश्चात् आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थियों की सूची यात्रा व्ययों का अनुमानित आधार पर निर्धारण करने के लिए संबंधित विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी। यात्रा व्ययों के लिए हकदार होने की दृष्टि से अभ्यर्थी को सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करना होगा जो स्वप्रमाणित होगा और जिसकी एक प्रति संलग्न करेगा तभी अभ्यर्थी को यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
- (2) मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-2/2013/नियम/चार भोपाल दिनांक 29 जून 2015 के द्वारा परीक्षा एवं प्रशिक्षण के लिये आने वाले परीक्षार्थियों को यात्रा व्यय (विशेषतः आरक्षित श्रेणी के) का भुगतान केवल ई-भुगतान पद्धति से ही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। सभी परीक्षार्थी संलग्न प्रारूप-4 में अपना बैंक खाता विवरण आवश्यक रूप से साथ लेकर आएं।

19. परीक्षा केन्द्रः -

इन नियमों के जारी किए जाने की तारीख से सरकार के समस्त पदों की भरती जो मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि में नहीं आते हैं, इन नियमों में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार मण्डल द्वारा की जाएगी। इस प्रयोजन के लिए उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा और कौशल विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन आने वाली शासकीय और अर्ध शासकीय संस्थाएँ मण्डल के परीक्षा केन्द्र बनाए जाने हेतु किए गए अनुरोध को स्वीकार कर सकेंगी। यदि ऐसे केन्द्र पर संघ लोक सेवा आयोग, मण्डल की परीक्षाओं की तारीख पर अपनी परीक्षाएँ करवा रहा हो तो मण्डल का ऐसा प्रस्ताव संबंधित विभाग द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है। “इसके अतिरिक्त उक्त विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएँ मण्डल की परीक्षाओं के कार्य संपादन हेतु भी ली जा सकेंगी। अतः उपरोक्त कर्मचारीवृन्द की सेवाएँ अत्यावश्यक सेवाएँ होंगी।”

[Signature]

20. निरहता : -

571

- ▲ (1) मण्डल अभ्यर्थी की केवल वह जन्मतिथि स्वीकार करेगा जो हाईस्कूल, हाथर सेकेण्डरी या किसी अन्य समकक्ष प्रमाण पत्र पर उल्लेखित है जो वास्तविक जन्मतिथि का उल्लेख करता है। आवेदन पत्र में एक बार जन्म तिथि का उल्लेख हो जाने पर, किसी भी स्थिति में जन्म तिथि में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसा आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। मण्डल ऐसे रद्द कर दिए गए आवेदन के लिए परीक्षा फीस लौटाने के दायित्वाधीन नहीं होगा।
- (2) (क) कोई पुरुष अभ्यर्थी, जिसका विवाह केवल इस कारण पंजीकृत नहीं हो सका हो कि उसकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं या जिसकी पत्नी जीवित है और वह पुनर्विवाह कर लेता है, ऐसी किसी भी सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि सरकार का यह समाधान न हो जाए कि ऐसा करने के लिए कोई विशेष कारण या औचित्य है और इसके लिए सरकार द्वारा ऐसे पुरुष अभ्यर्थी को इस नियम से छूट दी जा सकेगी।
- (ख) कोई महिला अभ्यर्थी, जिसका विवाह केवल इस कारण से पंजीकृत नहीं हो सका हो कि उसके पति की एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं या उसकी एक पत्नी जीवित है और वह पुनर्विवाह कर लेती है ऐसी किसी भी सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगी जब तक कि सरकार का यह समाधान न हो जाए कि ऐसा करने के लिए कोई विशेष कारण या औचित्य है और इसके लिए सरकार द्वारा ऐसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम से छूट दी जा सकेगी।
- (ग) कोई अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र होगा यदि समय-समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के उपबंधों के अनुसार 26 जनवरी, 2001 के पश्चात् उसे कोई तीसरी संतान नहीं होती है।

21. अभ्यर्थी की मानसिक और शारीरिक स्थिति : -

उम्मीदवार का मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिये और उसमें ऐसा कोई शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जिससे उसके द्वारा विशेष कर्तव्यों का निर्वहन प्रतिकूलतः प्रभावित हो सकता हो, यदि कोई उम्मीदवार जो ऐसा चिकित्सा परीक्षा के पश्चात् जो यथास्थिति, शासन या नियुक्ति प्राधिकारी विहित करें, इन अपेक्षाओं के अनुसार संतोषजनक न पाया जाए, नियुक्त नहीं किया जायेगा, केवल ऐसे उम्मीदवारों का चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा, जिनके संबंध में नियुक्ति के लिए विचार किये जाने की संभावना हो

22. आवेदनों का रद्द किया जाना : -

ऐसे आवेदन जो अपूर्ण हैं और जो विहित प्रारूप में नहीं हैं या जिनके साथ परीक्षा शुल्क नहीं है, रद्द कर दिए जाएंगे तथा मण्डल का विनिश्चय अंतिम होगा।

23. अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण का दावा : -

- (1) आरक्षण का दावा कर रहा अभ्यर्थी, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया समुचित और विधिमान्य जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।
- (2) आरक्षण का दावा कर रहे अभ्यर्थी के पास मध्यप्रदेश के किसी जिले के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र होगा और वह मण्डल या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा मांग किए जाने पर मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। यदि अभ्यर्थी ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो ऐसी अभ्यर्थिता या चयन का दावा रद्द हो जाएगा। ऐसे रद्दकरण का दायित्व केवल अभ्यर्थी का होगा।
- (3) ऐसे भूतपूर्व सैनिकों को, जो आयु में शिथिलीकरण का दावा कर रहे हैं, उनके मंत्रालय या उस कार्यालय द्वारा जहां अंतिम उपस्थिति दर्ज की हो, जारी किया गया मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें पदभार ग्रहण करने की तारीख तथा सेवाओं से उसकी सेवानिवृत्ति की

तारीख का उल्लेख हो, यदि उसे मितव्ययिता इकाई द्वारा अतिशेष घोषित करने की अनुशंसा के आधार पर सेवान्मुक्त किया गया है तो उसके रोजगार कार्यालय में पंजीयन की, यदि कोई हो, सत्यापित प्रति आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत की जाएगी।

24. अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए आधार: -

किसी अभ्यर्थी की, जो निम्नलिखित किन्हीं आधारों पर दोषी पाया जाता है, अभ्यर्थिता रद्द हो जाएगी, जिसने -

- (क) लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी रीति में इस प्रकार सहयोग अभिप्राप्त किया है जिससे उसकी अभ्यर्थिता प्रभावित हुई है; या
- (ख) प्रतिरूपण किया हो; या
- (ग) किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण का कार्य करवाया हो; या
- (घ) अभिलेखों को कूटरचित किया हो या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किया गए हों जो रूपांतरित किए गए हों;
- (ङ) ऐसे विवरण दिए हों, जिसमें ऐसी तात्त्विक जानकारी छिपाई गई हो, जो कि चयन के लिए आवश्यक हो; या
- (च) किसी अन्य अनियमित या अनुचित साधान के साथ परीक्षा में भाग लिया हो; या
- (छ) परीक्षा कक्ष में किन्हीं अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या उपयोग करने का प्रयास किया हो;
- (ज) परीक्षा कक्ष में परीक्षा के कार्य में लगे हुए अधीक्षक को कोई शारीरिक क्षति की धमकी दी हो या धमकी दिलवाई हो; या
- (झ) प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी को दिए गए दिशा निर्देशों या आदेश और परीक्षा कक्ष में अधीक्षक या किसी अन्य कर्मचारी द्वारा दिए गए मौखिक निर्देश का उल्लंघन किया हो; या
- (ञ) परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में इस प्रकार दुर्व्यवहार किया हो जो आपराधिक अभियोजन के लिए उसे उत्तरदायी ठहराता हो।

25. निःशक्तजनों के लिये आरक्षित पदों की पूर्ति : -

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-8- 2/2013/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 30.06.2014 के अनुसार निःशक्तजनों के लिए 06 प्रतिशत हॉरिजेण्टल आरक्षण दिया गया है और उसमें भी अस्थि बाधित, दृष्टि बाधित एवं श्रवण बाधित के लिए 02-02 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 31 मार्च, 2005 जारी करते हुए पूर्व में आरक्षित किए गए रोस्टर के बिन्दुओं को निरस्त करते हुए तीन खण्ड बनाये गये हैं। अतः निःशक्तजनों के जो भी पद विज्ञापित किए गए वह वर्गवार न होकर निःशक्तजनों की श्रेणीवार (अस्थिबाधित/ श्रवणबाधित/ दृष्टिबाधित) हो। इस प्रक्रिया में जिस वर्ग के उम्मीदवार चयनित होंगे, उन्हें रोस्टर में संबंधित वर्ग के रिक्त बिन्दुओं पर अंकित किया जाएगा। हॉरिजेण्टल आरक्षण में वर्गवार प्रतिनिधित्व देना आवश्यक नहीं है, किन्तु वर्टीकल आरक्षण में अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को बनाये रखना आवश्यक है। इसमें कोई भी आरक्षित वर्ग के पद को किसी अन्य श्रेणी से भरने की अनुमति नहीं है।

26. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, के पत्र क्र. सी 3-5-2015-3-एक भोपाल, दिनांक 31 जुलाई, 2015 के अनुसार व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा संचालित परीक्षाओं हेतु वाचित अतिरिक्त योग्यता का उल्लेख न किया जाना। अर्थात् मध्यप्रदेश कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा नियम-2013 के नियम-4 में विभागीय भर्ती नियमों को मान्यता दिये जाने का प्रावधान है, जिसके अनुसार वे समस्त उपबंध जो, इन नियमों में जोड़े गये हैं, और जो वर्तमान में विभागीय भर्ती नियमों में समायोजित नहीं किये गए हैं, संशोधित किये जाएंगे और सभी विभागों द्वारा अपने

219
219
S. S.

विभागीय भर्ती नियमों में सम्मिलित किए जाएँगे और तब तक जब तक कि विभागीय भर्ती नियम संशोधित नहीं हो जाते, इन नियमों के उपबंध संशोधित समझे जाएँगे ।

अतएव व्यापम के माध्यम से आयोजित होने वाली परीक्षाओं हेतु न्यूनतम अर्हता के अतिरिक्त वांछनीय अनुभव व वांछनीय योग्यता या उसके आधार पर वरीयता दिये जाने का उल्लेख विभागों द्वारा नहीं किया जाए । इसके अतिरिक्त पदों का विवरण भेजते समय उक्त पदों हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये ।

27. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की फीस प्रति पूर्ति

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल, के आदेश क्र. सी-3-9/2016/1-3 भोपाल दिनांक 10/10/2016 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की फीस प्रति पूर्ति की प्रतिपूर्ति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग सीधे प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड को करेंगे ।

28. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र. सी-3-9/2016/1-3 भोपाल, दिनांक 10/10/2016 की कण्डिका 3 एवं 4 के अनुसार परीक्षा में चयनित अर्थर्थी सूची के (तब तक विभागों से प्राप्त जानकारी के आधार पर उपलब्ध कुल पद संख्या) 15 प्रतिशत की प्रतीक्षा सूची बनाई जावेगी ।

ऐसी भर्ती परीक्षा की प्रतीक्षा सूची परिणाम घोषित होने से एक वर्ष अथवा नवीन परीक्षा के परिणाम घोषित होने तक (जो भी पहले हो) प्रभावी रहेगी तथा इसके माध्यम से ऐसे सक्षम पदों जिनके लिए विभाग/विभागों द्वारा इंडेट आवेदन फार्म भरने के प्रथम दिनांक के बाद बोर्ड को उपलब्ध कराया गया है को भरा जा सकेगा । इस हेतु विभागों को यह प्रतीक्षा सूची उपलब्ध कराई जावेगी, जिसे वे अभ्यर्थियों को सीधे आहूत कर सकेंगे का उल्लेख किया गया है इस प्रकार विभाग के पदों की पूर्ति की जा सकती है ।

५४

अध्याय – 02
विभागवार रिक्त पदों का विवरण

भर्ती का प्रकार	प्राथमिकता क्रम हेतु विभाग का नाम, जिनमें पद रिक्त है	पद	त्रिवर्षीय उपलब्ध पद संख्या				कुल	पद की स्थिति कार्यपालिक/ अकार्यपालिक	
			अना.	अजा.	अजजा	अपिव			
1. अधिष्ठाता, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)	लैब टेक्नीशियन	05	02	02	01	10	10	अकार्यपालिक	
	लैब असिस्टेंट	04	01	02	01	08	08	अकार्यपालिक	
	लैब अटेन्डर	03	01	01	01	06	06	अकार्यपालिक	
2. अधिष्ठाता, गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर (म.प्र.)	लैब असिस्टेंट	01	00	00	00	01	01	अकार्यपालिक	
	लैब टेक्नीशियन	01	02	02	00	05	05	अकार्यपालिक	
	रेडियोग्राफर	01	00	00	00	01	01	अकार्यपालिक	
	ओ.टी.टेक्नीशियन	01	00	00	00	01	01	अकार्यपालिक	
	रेडियोथ्रेपी टेक्नीशियन	0	01	01	00	02	02	अकार्यपालिक	
	ई.ई.जी. टेक्नीशियन	01	00	00	00	01	01	अकार्यपालिक	
3. अधिष्ठाता, महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)	प्रोरेस्टिक टेक्नीशियन	01	00	00	00	01	01	अकार्यपालिक	
	रेडियोथ्रेपी टेक्नीशियन	03	01	00	00	04	04	अकार्यपालिक	
4. आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियन्त्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन, भोपाल (म.प्र.)	प्रयोगशाला सहायक औषधि	0	00	01	00	01	01	कार्यपालिक	
5. संचालनालय स्वास्थ्य संवाये भोपाल	महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए. एन.एम.)	830	185	528	255	1798	1798	अकार्यपालिक	
6. संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, भोपाल म.प्र.	रेडियोग्राफर	83	22	33	02	140	140	अकार्यपालिक	
	प्रयोगशाला तकनीशियन	99	27	50	06	182	182	अकार्यपालिक	
	नेत्र सहायक	17	07	35	04	63	63	अकार्यपालिक	
	फार्मासिस्ट	185	91	201	48	525	525	अकार्यपालिक	
7. संचालनालय पशुपालन कामधेनु भवन भोपाल	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी	108	34	43	30	215	215	अकार्यपालिक	
योग			1343	374	899	348	2964	—	

नोट:- एक समान पद हेतु आवेदक आवेदन पत्र में विभागवार वरीयता दे सकते हैं।

विभागवार रिक्त पदों का विवरण

पदों का एकजाइ विवरण

क्र.	पद का नाम	सीधी भर्ती	सीधी भर्ती बैकलॉग	संविदा भर्ती	कुल
1.	लैब टेक्नीशियन	15	—	—	15
2.	लैब असिस्टेंट	09	—	—	09
3.	लैब अटेन्डन्ट	06	—	—	06
4.	रेडियोग्राफर	141	—	—	141
5.	ओ.टी.टेक्नीशियन	01	—	—	01
6.	रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन	06	—	—	06
7.	ई.इ.जी. टेक्नीशियन	01	—	—	01
8.	प्रोस्थेटिक टेक्नीशियन	01	—	—	01
9.	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी	215	—	—	215
10.	महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.)	1798	—	—	1798
11.	प्रयोगशाला सहायक(ओषधि)	01	—	—	01
12.	प्रयोगशाला तकनीशियन	182	—	—	182
13.	नेत्र सहायक	63	—	—	63
14.	फार्मासिस्ट	525	—	—	525
	कुल	2964	—	—	2964


 ११/१२/२०१२

 ११/१२/२०१२

SK

सीधी भर्ती के पदों का वर्गवार विवरण

1. अधिष्ठाता, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)

अधिष्ठाता, महात्मा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) के पत्र क्रमांक 16996/एम.सी/5/16 भोपाल दिनांक 23.06.2016 के अनुसार रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है -

आरक्षण तालिका

सीधी भर्ती – लैब टेक्नीशियन – कुल 10 पद

संक्र.	श्रेणी	बिना वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	05	—	—	—	05	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	02	—	—	—	02	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	02	—	—	—	02	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	—	—	—	01	
	योग	10	—	—	—	10	

वेतनमान – 5200– 20200 +2400 ग्रेड पे

शैक्षणिक योग्यता –

- बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में (10+2) प्रणाली में उपरोक्त विषय सहित 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण
- मान्यता प्राप्त संस्थान से पैथोलॉजी टेक्नीशियन का डिप्लोमा/क्लीनिकल बायोकेमेस्ट्री डिप्लोमा/माइक्रोबायोलॉजी का डिप्लोमा
- वायरोलॉजी तकनीकी का ज्ञान
- मध्यप्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल का जीवित पंजीयन आवश्यक है।

सीधी भर्ती – लैब असिस्टेंट – कुल 08 पद

संक्र.	श्रेणी	बिना वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	04	—	—	—	04	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	—	—	—	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	02	—	—	—	02	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	—	—	—	01	
	योग	08	—	—	—	08	

वेतनमान – 5200– 20200 +2100 ग्रेड पे

शैक्षणिक योग्यता –

- बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में (10+2) प्रणाली में उपरोक्त विषय सहित 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण
- वायरोलॉजी तकनीकी का ज्ञान

सीधी भर्ती – लैब अटेन्डेंट – कुल 06 पद

संक्र.	श्रेणी	बिना वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	03	—	—	—	03	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	—	—	—	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	—	—	—	01	
	योग	06	—	—	—	06	

वेतनमान – 5200– 20200 +1900 ग्रेड पे

शैक्षणिक योग्यता –

- बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में (10+2) प्रणाली में उपरोक्त विषय सहित 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण

2. अधिष्ठाता, गजराराजा चिकित्सा महाविद्यलाय ग्वालियर,(म.प्र.)
 अधिष्ठाता, गजराराजा चिकित्सा महाविद्यलाय ग्वालियर, (म.प्र.) के पत्र क्रमांक 15467 /स्था.अराज./2016, पत्र क्रमांक 16442 /स्था.अराज./2016, ग्वालियर, दिनांक 26.04.2016 के अनुसार रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है

आरक्षण तालिका

सीधी मर्ती – लैब असिस्टेंट – कुल 01 पद

संक्र.	श्रेणी	बिना वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	योग	01	—	—	—	01	

वेतनमान – 5200 – 20200+2800 ग्रेड पे

शैक्षणिक योग्यता –

1. अर्थर्थी अनिवार्य रूप से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान के साथ (10+2) 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण आवश्यक होना चाहिए।

सीधी मर्ती – लैब टेक्नीशियन – कुल 05 पद

संक्र.	श्रेणी	बिना वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	—	—	01	—	01	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	02	—	—	—	02	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	—	01	—	02	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	योग	03	—	02	—	05	

वेतनमान – 5200–20200+2800 ग्रेड पे

शैक्षणिक योग्यता –

1. बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में उपरोक्त विषयों सहित 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण।
2. मान्यता प्राप्त संस्थान से पैथालॉजी टेक्नीशियन का डिप्लोमा (डी.एम.एल.टी.) बायोकेमेस्ट्री का डिप्लोमा / माइक्रोबायोलॉजी का डिप्लोमा
3. म.प्र. पैरामेडिकल कॉस्मिल का जीवित पंजीयन आवश्यक

सीधी मर्ती – रेडियोग्राफर – कुल 01 पद

संक्र.	श्रेणी	बिना वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	—	—	01	—	01	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	योग	—	—	01	—	01	

वेतनमान – 5200–20200+2800 ग्रेड पे

शैक्षणिक योग्यता –

1. बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में उपरोक्त विषयों सहित 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण।
2. मान्यता प्राप्त संस्थान से रेडियोग्राफर का डिप्लोमा
3. म.प्र. पैरामेडिकल कॉउंसिल का जीवित पंजीयन आवश्यक।

f *PL* *23/11/12* *30/09/15*

सीधी मर्ती – ओटी टेक्नीशियन – कुल 01 पद

संक्र.	श्रेणी	बिना वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	योग	01	—	—	—	01	

वेतनमान – 5200–20200+2800 ग्रेड पे

शैक्षणिक योग्यता –

- बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में उपरोक्त विषयों सहित 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण।
- मान्यता प्राप्त संस्था से ऑफरेशन थियेटर का प्रमाण पत्र।
- म.प्र. पैरामेडिकल काउंसिल का जीवित पंजीयन आवश्यक।

सीधी मर्ती – रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन – कुल 02 पद

संक्र.	श्रेणी	बिना वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	—	—	—	—	—	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	—	—	—	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	योग	02	—	—	—	02	

वेतनमान – 5200–20200+2800 ग्रेड पे

शैक्षणिक योग्यता –

- बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में उपरोक्त विषयों सहित 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण।
- मान्यता प्राप्त संस्था से रेडियोथेरेपी में डिप्लोमा/प्रमाणपत्र/डीएमआईआरटी सर्टीफिकेट।
- म.प्र. पैरामेडिकल काउंसिल का जीवित पंजीयन आवश्यक।

सीधी मर्ती – ई.इ.जी. टेक्नीशियन – कुल 01 पद

संक्र.	श्रेणी	बिना वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	योग	01	—	—	—	01	

वेतनमान – 5200–20200+2800 ग्रेड पे

शैक्षणिक योग्यता –

- बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में उपरोक्त विषयों सहित 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण।
- मान्यता प्राप्त संस्था से ई.इ.जी. टेक्नीशियन का दो वर्षीय डिप्लोमा।
- म.प्र. पैरामेडिकल काउंसिल का जीवित पंजीयन आवश्यक।

Handwritten signatures and marks, possibly initials or codes, are present here.

सीधी भर्ती – प्रोस्थेटिक टेक्नीशियन – कुल 01 पद

संक्र.	श्रेणी	बिना वर्गे		भूतपूर्व सेनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	–	–	–	01	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	–	–	–	–	–	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	–	–	–	–	–	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	–	–	–	–	–	
	योग	01	–	–	–	01	

वेतनमान – 5200-20200+2100 ग्रेड पे

शैक्षणिक योग्यता –

- बायोलॉजी, कोमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में उपरोक्त विषयों सहित 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण।
- मान्यता प्राप्त संस्था से प्रोस्थेटिक्स का डिल्सोमा अथवा प्रोस्थेटिक्स टेक्नीशियन का का सर्टिफिकेट कोर्स

23/2/20

3. अधिष्ठाता, महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर,(म.प्र.)

अधिष्ठाता, महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर, (म.प्र.) के पत्र क्रमांक 1969 /स्था.अधिज्ञप्त। /2017, के अनुसार रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है –

सीधी मर्ती – रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन – कुल 04 पद

संक्र.	श्रेणी	बिना वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	03	—	—	—	03	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	—	—	—	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	योग	04	—	—	—	04	

वेतनमान – 5200+20200+2800 ग्रेड पे

शैक्षणिक योग्यता –

1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 विज्ञान विषयों सहित परीक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष।
2. किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित न्यनूतम पाठ्यक्रम पर आधारित किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से दो वर्षीय रेडियोथेरेपी टेक्नोलौजिस्ट पाठ्यक्रम उत्तीर्ण या उसके समकक्ष रेडियोथेरेपी में प्रायोगिक प्रशिक्षण (in Field training) सहित

8/12/22
8/12/22

4. आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन, भोपाल (म.प्र.)

आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन, भोपाल (म.प्र.) के पत्र क्रमांक 3978 भोपाल दिनांक 23.07.2016 के अनुसार रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है –

आरक्षण तालिका

सीधी भर्ती – प्रयोगशाला सहायक (औषधी) – कुल 01 पद (कार्यपालिक)

संक्र.	श्रेणी	विना वर्ग		भौतिक स्त्रीनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	–	–	–	–	–	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	–	–	–	–	–	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	–	–	–	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	–	–	–	–	–	
	योग		01			01	

वेतनमान – 5200—20200+1900 ग्रेड पे

शैक्षणिक योग्यता –

माध्यमिक शिक्षा मण्डल या शासन से मान्यता प्राप्त संस्थान से 10+2 प्रणाली के अन्तर्गत विज्ञान विषय सहित हायर सेकेण्ड्री

5. संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन, भोपाल

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन, भोपाल के पत्र क्रमांक-3/प.क./सेल-1/2016/966 दिनांक 30. 09.2016 के अनुसार रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है –

आरक्षण तालिका
केवल महिला अभ्यर्थियों के लिये

सीधी भर्ती – महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) – कुल 1798 पद

संक्र.	श्रेणी	बिना वर्ग		भूतपूर्व सेनिक		योग	विकलाग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	830	—	—	—	830	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	185	—	—	—	185	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	528	—	—	—	528	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	255	—	—	—	255	
	योग	1798	—	—	—	1798	

वेतनमान – 5200–20200+2100 ग्रेड पे

शैक्षणिक योग्यता –

- (1) उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण / 10+2 शिक्षा पद्धति में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- (2) मध्यप्रदेश में संचालित शासकीय महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) प्रशिक्षण केन्द्रों से निर्धारित अवधि का प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिये।
- (3) रजिस्टर मध्यप्रदेश नर्सिंग काउंसिलिंग से महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) का जीवित पंजीयन होना चाहिये।

केवल महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) के लिये अतिरिक्त वेटेज/बोनस अंक

स्वास्थ्य विभाग में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मध्यप्रदेश में संचालित शासकीय महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) प्रशिक्षण केन्द्रों से निर्धारित अवधि का प्रशिक्षण उत्तीर्ण संविदा में कार्यरत महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) को 02 (दो) अंक प्रतिवर्ष के मान से अधिकतम 10 (दस) अंक का अतिरिक्त वेटेज/बोनस अंक को जोड़कर अंतिम प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी। इस हेतु आवेदक द्वारा संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का प्रदत्त प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है। इस हेतु प्रमाण पत्र का प्रारूप-6 सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।

6. संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल के पत्र क्रमांक/2/अवि./सेल-2/928—एक भोपाल दिनांक 30.09.2016 के अनुसार रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है—

आरक्षण तालिका

सीधी भर्ती – रेडियोग्राफर – कुल 140 पद

संक्र.	श्रेणी	विना वर्ग		भूतपूर्व सेविका		योग	विवरण
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	53	22	06	02	83	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	14	06	02	—	22	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	21	09	02	01	33	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	02	—	—	—	02	
	योग	90	37	10	03	140	

वेतनमान – 5200—20200 +2800ग्रेड पे

न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :-

- (1.) विज्ञान संकाय में हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण / 10 + 2 शिक्षा पद्धति में 12 वी परीक्षा उत्तीर्ण, एवं
 - (2.) रेडियोग्राफर का निर्धारित 6 माह का प्रशिक्षण उत्तीर्ण
 - (3.) मध्यप्रदेश सह – चिकित्सीय परिषद में पंजीयन
- अथवा
- (1.) एक्स-रे रेडियोग्राफर टेक्नीशियन का
 - अ. – दो वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम अथवा
 - ब. – तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम
 - (2.) मध्यप्रदेश सह – चिकित्सीय परिषद में जीवित पंजीयन

सीधी भर्ती – प्रयोगशाला तकनीशियन – कुल 182 पद

संक्र.	श्रेणी	विना वर्ग		भूतपूर्व सेविका		योग	विवरण
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	64	26	06	03	99	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	17	07	02	01	27	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	31	14	03	02	50	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	03	02	01	—	06	
	योग	115	49	12	06	182	

वेतनमान – 5200—20200 +2800ग्रेड पे

न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :-

- (1.) विज्ञान संकाय में हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण / 10 + 2 शिक्षा पद्धति में 12 वी परीक्षा उत्तीर्ण, एवं
 - (2.) रोग विज्ञान तकनीशियन (पैथोलॉजी टेक्नीशियन) का निर्धारित 10 माह/1 वर्ष का प्रशिक्षण या चिकित्सीय रोग विज्ञान में डिप्लोमा (डिप्लोमा इन मेडिकल पैथोलॉजी) होना चाहिये।
 - (3.) मध्यप्रदेश सह–चिकित्सीय परिषद में जीवित पंजीयन
- अथवा
- (1.) पैथोलॉजी का
 - अ.–दो वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम (डी.एम.एल.टी.)
 - ब.–तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम (बी.एम.एल.टी.)
 - (2.) मध्यप्रदेश सह–चिकित्सीय परिषद में जीवित पंजीयन

सीधी भर्ती – नेत्र सहायक – कुल 63 पद

संक्र.	श्रेणी	बिना वर्ग		मूलपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	11	04	02	—	17	निशक्तजनों की कुल 01 रिक्तियों में से 01 पद अस्थिबाधित निशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है।
2.	अनुसूचित जाति (SC)	04	02	01	—	07	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	22	10	02	01	35	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	03	01	—	—	04	
	योग	40	17	05	01	63	

वेतनमान – 5200—20200+2800 ग्रेड पे

न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :-

- (1.) विज्ञान संकाय में हायर सेकेण्डरी परीक्षा / (10+2) शिक्षा पद्धति से विज्ञान समूह में 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण एवं
- (2.) राज्य की चिकित्सा संस्था से नेत्र सहायक (आफ्थलमिक असिस्टेंट) का दो वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण या दृष्टिभित्ति तथा अपवर्तन (आप्टोमेट्री एण्ड रिफ्रैक्शन) में डिप्लोमा तथा नेत्र शिविर तथा अन्य में 3 माह का प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए।
- (3.) मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद में जीवित पंजीयन

सीधी भर्ती – फार्मासिस्ट ग्रेड – 2 – कुल 525 पद

संक्र.	श्रेणी	बिना वर्ग		मूलपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	121	47	12	05	185	निशक्तजनों की कुल 10 रिक्तियों में से 10 पद अस्थिबाधित निशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है।
2.	अनुसूचित जाति (SC)	57	25	06	03	91	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	127	54	14	06	201	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	30	13	03	02	48	
	योग	335	139	35	16	525	

वेतनमान – 5200—20200+2800 ग्रेड पे

न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :-

- (1.) विज्ञान संकाय में हायर सेकेण्डरी परीक्षा / (10+2) शिक्षा पद्धति से विज्ञान समूह में 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण एवं
 - (2.) मध्यप्रदेश सरकार द्वारा यथा अनुमोदित औषध निर्माण (फार्मेसी) में डिप्लोमा तथा
 - (3.) मध्यप्रदेश फार्मेसी कॉसिल में भेषजज्ञ (फार्मासिस्ट) के रूप में जीवित पंजीयन.
- अथवा**
- (1.) मध्यप्रदेश सरकार द्वारा यथा अनुमोदित औषध निर्माण (फार्मेसी) में डिप्लोमा
 - (2.) मध्यप्रदेश सरकार द्वारा यथा अनुमोदित औषध निर्माण (फार्मेसी) में बी-फार्मा डिग्री अथवा
 - (3.) मध्यप्रदेश सरकार द्वारा यथा अनुमोदित औषध निर्माण (फार्मेसी) में एम-फार्मा डिग्री
 - (4.) मध्यप्रदेश फार्मेसी कॉसिल में भेषजज्ञ (फार्मासिस्ट) के रूप में जीवित पंजीयन.

नोट:- 1. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग की संशोधित अधिसूचना दिनांक 22 अक्टूबर 2012 द्वारा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन प्रयोगशाला तकनीशियन, रेडियोग्राफर, नेत्र सहायक एवं फार्मासिस्ट ग्रेड-2 के तहत विकलांग कोटे के पद अस्थिबाधित श्रेणी के लिए आरक्षित है। दृष्टि बाधित और श्रवण बाधित में छूट प्रदान की गई है।

7. संचालनालय पशुपालन कामधेनु भवन वैशाली नगर, भोपाल,(म.प्र.)

संचालनालय पशुपालन कामधेनु भवन, भोपाल (म.प्र.) के पत्र क्रमांक 1284 /स्था.ब/ 2016-17 भोपाल, दिनांक 06 फरवरी 2017 के अनुसार रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है –

आरक्षण तालिका

सीधी भर्ती – सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी – कुल 215 पद

संक्र.	श्रेणी	बिना वर्ग		भूतपूर्व सेविका		योग	विवरण
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	61	36	07	04	108	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	20	11	02	01	34	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	25	14	03	01	43	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	17	10	02	01	30	
	योग	123	71	14	07	215	

वेतनमान – 5200 – 20200+2400 ग्रेड पे

शैक्षणिक योग्यता –

1. हायर सेकेण्डरी 10+2 प्रणाली से 12वीं परीक्षा विज्ञान विषय (जीव विज्ञान गणित/कृषि से उत्तीर्ण
2. अनिवार्य न्यूनतम योग्यता— मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पशुपालन विज्ञान में द्विवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण
3. भूतपूर्व सेविकों के लिए रिमाउंट वेट्रीनरी कॉर्स में ड्रेसर ग्रेड 1 एवं 2 के रूप में 15 वर्ष की सेवायें पूर्ण होने पर।

13/02/18
जयपाल

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल परीक्षा संचालन के नियम एवं निर्देश

खण्ड-अ

- 3.1** (i) इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसमें से आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक व अन्य अर्हता को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। अभ्यर्थी शैक्षणिक अर्हताओं का भलीभांति अध्ययन उपरान्त ही आवेदन पत्र भरें।
- (ii) आवेदक को विभिन्न पदों हेतु एक ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है।
- (iii) अभ्यर्थी अपनी प्राथमिकता उल्लेखित करते हुये एक से अधिक पद के लिए अपना विकल्प/अधिमान पदवार चिह्नित कर सकेगा। आनलाईन आवेदन पत्र में दी गई जानकारी एवं विकल्पों के आधार पर ही परीक्षा व परिणाम संबंधी कार्यवाही की जावेगी।
- 3.2** (i) आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हतायें आवेदन पत्र भरने की तिथि को अनिवार्य रूप से पूर्ण होने चाहिये।
- (ii) आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि के पश्चात किसी भी दिनांक को अर्हतायें अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापित पदों के लिये विचार क्षेत्र में होने की पात्रता नहीं होगी।
- (iii) आवेदक द्वारा गलत जानकारी दिये जाने की स्थिति में उनका आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
- (iv) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय संबंधित विभाग/संस्था या भर्ती परीक्षा में संबंधित विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जायेगा।
- (v) यदि बाद में यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी स्तर पर संस्था प्रमुख/संबंधित विभाग द्वारा परीक्षा में प्रवेश/चयन/नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
- (vi) आवेदक द्वारा छद्म रूप से एक से अधिक आवेदन किये जाने एवं तदनुसार परीक्षा में बैठने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जावेगी।
- 3.3** परीक्षा हाल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री :—
- (i) बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश-पत्र।
- (ii) काला बॉलप्वाइंट पेन। (उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर एवं अन्य लिखित कार्य हेतु।)
- (ii) फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र – मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, झायविंग लायसेस, अधिकारिक रूप से जारी एवं हस्ताक्षरित अंकसूची मय फोटोग्राफ, तथा पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य। इ आधार मान्य नहीं है।
- 3.4** परीक्षा में किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाईस यथा Scientific Calculator, Mobile Phone, Bluetooth Device, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beeper), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales and whitener इत्यादि पूर्णतः वर्जित है।
- 3.5** नागरिकता एवं स्थाई निवासी के संबंध में :—
- (i) पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार को
- (क) आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिये।
- (ख) नेपाल की प्रजा होना चाहिये।

2. किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण—पत्र आवश्यक हो इस बात के अध्यधीन अंतिम रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि राज्य शासन द्वारा उसके पक्ष में आवश्यक प्रमाण—पत्र अंतः जारी कर दिया जाए।

(ii) ऐसे अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी नहीं हैं, सिर्फ अनारक्षित/ओपन के अंतर्गत रिक्त पदों हेतु ही अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे आवेदकों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा।

3.6 मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों के लिए आयु सीमा :-

(i) अभ्यर्थी की आयु सीमा की गणना भर्ती के चालू वर्ष की 01 जनवरी 2017 को 18 वर्ष से कम एवं 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

(ii) सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्र.सी-3-11/12/1/3, दिनांक 03.11.2012 एवं पत्र क्र./सी.3-11/2012/3 भोपाल दिनांक 13 जनवरी 2016, (विगलांग हेतु) क्रमांक 50/2532/1/3/80 भोपाल, दिनांक 12 फरवरी 1981 के अनुसार निम्न संवर्गों के अंतर्गत आने वाले अभ्यार्थियों की आयु सीमा की गणना निम्नानुसार है :-

संक्र.0	आवेदक एवं श्रेणी	अधिकतम आयु सीमा	म.प्र. के बाहर के आवेदकों के लिये आयु सीमा (वर्ष में)
1	पुरुष आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	40 वर्ष	35 वर्ष
2	पुरुष आवेदक (शासकीय /निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45 वर्ष	35 वर्ष
3	पुरुष आवेदक (आरक्षित वर्ग—अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)	45 वर्ष	35 वर्ष
4	पुरुष आवेदक (आरक्षित वर्ग—शासकीय /निगम/ मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45 वर्ष	35 वर्ष
5	महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	45 वर्ष	35 वर्ष
6	महिला आवेदक (शासकीय /निगम/मण्डल/ स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक) (विधवा/परित्यक्ता /तलाकशुदा)	45 वर्ष	35 वर्ष
7	महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग—अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)	45 वर्ष	35 वर्ष
8.	म0प्र0 के भूतपूर्व सैनिक आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	43 वर्ष	-
9.	म0प्र0 के भूतपूर्व सैनिक आवेदक (आरक्षित वर्ग— अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)	45 वर्ष	-
10.	म0प्र0 के विकलांग आवेदक (समस्त वर्ग)	45 वर्ष	-

3.7 मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों को प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूटें :-

(i) आदिम जाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपत्तियों के संवर्ग सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. सी-3-10-85-3-1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में पॉच वर्ष की छूट दी जावेगी।

(ii) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. सी-3-18- 85-3-1, दि. 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जावेगी।

- (iii) किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। (किसी भी प्रकार की छूट सम्मिलित करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं हो।

3.8 मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों की आयु सीमा के संबंध में अन्य विवरण :-

- (i) ऐसे उम्मीदवार, को जो कि छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा से अधिक से अधिक सात वर्ष की अवधि भले ही वह एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने की अनुमति दी जायेगी, बशर्ते कि इसके परिणाम स्वरूप निकलने वाली आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण :- शब्द "छटनी" किये गये शासकीय कर्मचारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो इस राज्य अथवा संघटक इकाई में से किसी भी इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छः माह तक निरन्तर रहा हो तथा रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया था।

- (ii) ऐसे उम्मीदवार को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो। (बिन्दु क्र. 3.6 में उल्लेखित तालिका अनुसार)

स्पष्टीकरण :- शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की अवधि तक निरन्तर सेवा करता रहा हो तथा जिसका किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता यूनिट (इकाई) की सिफारिशों के फलस्वरूप या कर्मचारियों की संख्या में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गई हो अथवा जो आवश्यक कर्मचारियों की संख्या से अधिक (सरप्लस) घोषित किया गया हो :-

- (1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व निवृत्ति-रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन सेवा मुक्त किया गया हो,
- (2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दुबारा भर्ती किया गया हो, और
 - (क) नियुक्ति की अल्पकालीन अवधि पूर्ण हो जाने पर
 - (ख) भर्ती संबंधी शर्तें पूरी होने पर सेवा मुक्त कर दिया गया हो,
- (3) मद्रास सिविल युनिट (इकाई) के भूतपूर्व कर्मचारी
- (4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें अनुबन्ध पूरा होने पर सेवामुक्त किया गया हो, जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं।
- (5) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के बाद सेवा मुक्त किया गया हो।
- (6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जो असमर्थ होने के कारण सेवा से अलग कर दिये गये हों।
- (7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवा मुक्त किया गया हो कि अब वे सक्षम सैनिक न बन सकेंगे।
- (8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो,

10/12/2018

F

3/12/2018

वास्तविक विस्थापित स्वर्णकारों के अर्थात् उन स्वर्णकारों के मामले में भी जिनके पास श्रम विभाग के ज्ञापन क्रं. 3345-4005-सोलह, तारीख 6 मई 1963 के अनुसार पहचान पत्र हो, अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष तक की शिथिल की जा सकती।

ऐसा व्यक्ति जो 1.1.1963 के बाद रा.छ.सेना में पूर्णकालिक केडट अनुदेशक के रूप में भरती किया गया हो, अपनी प्रारंभिक वांछित सेवावधि की समाप्ति पर राष्ट्रीय छात्र सेना से निर्मुक्त होने पर अपनी वास्तविक आयु में से राष्ट्रीय छात्र सेना में की गई सेवा की अवधि घटा सकेगा, परंतु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह किसी विशिष्ट पद के लिए विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

- टीप :**
- (1) उपर्युक्त उल्लेखित आयु संबंधी रियायतों के अंतर्गत जिन उम्मीदवारों को चयन के योग्य माना गया हो वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद, चयन के लिए उपस्थित होने के पूर्व या पश्चात सेवा से त्याग-पत्र दे दें, तो वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे तथा पर्याप्त आवेदन पत्र भेजने के बाद उनकी सेवा अथवा पद से छंटनी हो जावे तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे। अन्य किसी भी मामले में इन आयु सीमाओं में छूट नहीं दी जावेगी। विभागीय उम्मीदवारों को चयन के लिए उपस्थित होने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।
 - (2) यदि कोई आवेदक प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूटों में से निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट के लाभ के लिये एक से अधिक आधार रखता है, तो उसे अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में ही छूट का लाभ प्राप्त होगा। यह छूट निर्धारित अधिकतम आयु-सीमा के अतिरिक्त होगी। सभी प्रकार की छूट को शामिल करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

3.8 (ब) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. 524/575/2015/आप्र./एक भोपाल, दिनांक 25 जून 2015 के आधार पर भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम, 1985 के नियम-5 में निम्नानुसार प्रावधान है:-

“ आयु-सीमा के संबंध में विशेष उपबंध-राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में किसी रिक्त स्थान पर चाहे वह इन नियमों के अधीन आरक्षित हो या अनारक्षित हो, नियुक्ति के लिये प्रत्येक ऐसे भूतपूर्व सैनिक को जो संघ के सशस्त्र बलों में लगातार कम से कम छह मास तक सेवा में रहा हो, उसकी वास्तविक आयु में से ऐसी सेवा की कालावधि घटाने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा यदि इसके परिणामस्वरूप आयु उस पद या सेवा के लिये, जिसके लिये वह नियुक्त चाहता है, चिह्नित अधिकतम आयु-सीमा में तीन वर्ष से अधिक न हो, तो उसके संबंध में यह समझा जाएगा कि वह आयु-सीमा से संबंधित शर्त को पूरा करता है।

3.9 **लिखित परीक्षा में निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध सुविधाएँ :-**

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. एफ-८-२/०५/आ.प्र./एक, दिनांक 08.09.2011 के आधार पर लिखित परीक्षा में निःशक्तजन के लिए निम्नानुसार सुविधाएँ प्रदान की जायेगी:-

(i) यह सुविधा निम्नलिखित अभ्यर्थियों को प्रदान की जावेगी :-

1. दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) निःशक्त तथा सेरिब्रल पल्सी से निःशक्तजन परीक्षार्थी।
2. मानसिक रूप से संस्तम (स्पैस्टिक) डाइसलेक्सिक और पर्सन्स विद डिसएबिलिटिज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।
3. ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो, इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन रैक से कम का न हो।

F *23/5/18* *अमृता*

4. दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो और इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।
5. लेखन लिपिक (सहायक) या अतिरिक्त समय की सुविधा प्रदान की जावेगी।

(ii) **लेखन लिपिक (सहायक) की सुविधा :-**

1. परीक्षा में संबंधित अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा दिनांक से 10 दिन पूर्व प्रोफेशनल एग्जामिनेश बोर्ड, भोपाल को लेखन लिपिक से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी शपथ-पत्र सहित प्रस्तुत किया जाकर लिखित अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
2. लेखन लिपिक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए, जो परीक्षार्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा की शैक्षणिक अर्हता/प्रश्न-पत्र के स्तर (जो भी कम हो) से एक स्तर नीचे का होना चाहिए।
3. ऐसे परीक्षार्थी, जिन्हें लेखन सहायक सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, उन्हें एक अलग कक्ष यथासंभव भूतल पर उपयुक्त व्यवस्था की जावेगी।

(iii) **अतिरिक्त समय हेतु शर्तें :-**

1. यदि अभ्यर्थी अतिरिक्त समय चाहता है तो परीक्षा दिनांक से 10 दिन पूर्व प्रोफेशनल एग्जामिनेश बोर्ड, भोपाल को लेखन लिपिक से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी शपथ-पत्र सहित प्रस्तुत किया जाकर लिखित अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
2. यदि अभ्यर्थी लेखन लिपिक की सुविधा प्राप्त नहीं करता है, तो उसे निम्नानुसार अतिरिक्त समय की पात्रता होगी :-

3 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	60 मिनट
2½ घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	50 मिनट
2 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	40 मिनट
1½ घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	30 मिनट

नोट - बिन्दु क्र. 3.9 की कंडिका – (i) में उल्लेखित नियम को पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी यदि लेखन लिपिक (सहायक) या अतिरिक्त समय चाहते हों तो ही पीईबी कार्यालय को उपरोक्त समयावधि में आवेदन कर सकते हैं।

3.10 प्रवेश-पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया :-

ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक का प्रयोग कर आवेदक अपना प्रवेश-पत्र पी.ई.बी. की वेबसाईट www.vyapam.nic.in से मुद्रित कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।

नोट- प्रवेश पत्र जारी होने के उपरांत किसी तरह का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर पी.ई.बी. ऑनलाईन आवेदन-पत्र को रद्द/निरस्त/ परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

3.11 परीक्षा प्रवेश-पत्र (Test Admit Card) :-

- (i) नियमानुसार मान्य ऑनलाईन आवेदन-पत्रों के प्रवेश-पत्र (Test Admit Card-TAC) पी.ई.बी. की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर दो भागों में उपलब्ध कराए जायेंगे। जिसमें प्रथम भाग में आवेदक, परीक्षा का नाम, रोल नंबर एवं परीक्षा केन्द्र का विवरण इत्यादि समाहित होगा।
- (ii) अतिरिक्त रूप से इस भाग में आवेदक के आवेदन पत्र में भरे गये शरीर के स्थायी पहचान चिन्ह तथा फोटोयुक्त पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक भी अंकित होगा।
- (iii) परीक्षा के दौरान ही वीक्षक के समक्ष अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र के निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर, बाये हाथ के अंगूठे का निशान तथा हस्तालिपि (काले बाल पार्सेट पेन से) अंकित करना होगी।

(iv) प्रवेश-पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जायेंगे।

3.12 मूल्यांकन पद्धति :-

वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

3.13 अ. त्रुटिपूर्ण प्रश्न, उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंक :-

परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा अभ्यर्थियों से प्रश्न पत्र के विषय में आपत्तियाँ आहूत की जाती हैं तदनुसार विषय विशेषज्ञों से प्रश्नपत्र के आपत्तियुक्त प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते हैं :-

- (i) प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर का हो।
- (ii) प्रश्न की संरचना गलत हो।
- (iii) उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।
- (iv) कोई भी विकल्प सही न हो।
- (v) यदि प्रश्न-पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न-भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।
- (vi) कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।
- (vii) अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा उचित समझा जाये।
- (viii) प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न-पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में पी.ई.बी. अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

उदाहरण 01 :- यदि किसी 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 98 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी,

$$\frac{90 \times 100}{(100 - 2)} = 91.83$$

उदाहरण 02 :- यदि किसी 150 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 148 प्रश्नों में 140 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी।

$$\frac{140 \times 150}{(150 - 2)} = 141.89$$

उदाहरण 03 :- यदि किसी 200 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 198 प्रश्नों में 190 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी।

$$\frac{190 \times 200}{(200 - 2)} = 191.91$$

नोट :- सभी गणना को दशमलव के दो अंकों तक की जायेगी।

(आदेश क्र. पी.ई.बी./5-प-1/48/5279/2016 भोपाल दिनांक 29.08.2016 के अनुसार)

3.13 ब. परीक्षा में परीक्षा परिणाम नार्मलाइजेशन पद्धति :-

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल के आदेश क्र. पी.ई.बी./प-1/11/22-2016/4839/2016 भोपाल, दिनांक 04.08.2016 के अनुसार पी.ई.बी. द्वारा आयोजित परीक्षाएं, जिसमें परीक्षा आयोजन एक से अधिक शिफ्टों में किया जाता है तो उन परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम नार्मलाइजेशन पद्धति से तैयार किया जावेगा। जिसका सूत्र निम्नानुसार है:-

Normalized Mark of j^{th} candidate in i^{th} session \widehat{M}_{ij} is given by:

$$\widehat{M}_{ij} = \frac{\bar{M}_i^g - M_{iq}^g}{\bar{M}_i^g - M_{iq}} (M_{ij} - M_{iq}) + M_{iq}^g$$

where,

M_{ij} is the actual marks obtained by the j^{th} candidate in i^{th}

\bar{M}_i^g is the average marks of the top 0.1% of the candidates considering all sessions

M_{iq}^g is the sum of mean and standard deviation marks of the candidates in the paper considering all sessions

M_{iq} is the average marks of the top 0.1% of the candidates in the i^{th} session

M_{iq}^g is the sum of the mean marks and standard deviation of the i^{th} session

(नार्मलाइजेशन पद्धति के बारे में जानने के लिये पी.ई.बी. की वेबसाईट देखें)

3.14 प्रश्न पत्र के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन :-

- (i) प्रश्नपत्र में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ निर्धारित प्रारूप में आवश्यक अभिलेख सहित परीक्षा समाप्ति के उपरान्त एक सप्ताह के भीतर पी.ई.बी. कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है।
- (ii) बिन्दु क्रमांक 3.13 अ अनुसार पी.ई.बी. द्वारा प्रश्न-पत्र में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के साथ-साथ परीक्षार्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त मूल्यांकन हेतु अंतिम “की” (अंतिम उत्तर) तैयार की जायेगी।
- (iii) अंतिम उत्तर के संबंध में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

3.15 अनुचित साधन (Unfair means, UFM) :-

बोर्ड द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाइन परीक्षाओं में यू.एफ.एम./पररूपधारी प्रकरणों पर कार्यवाही हेतु निम्नानुसार मार्गदर्शी नियमावली निर्धारित की जाती है :-

- (अ) अनुचित साधन (Unfair means)/यू.एफ.एम. (UFM) के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों के संबंध में

[Signature]

1. परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, क्लॅप्कुलेटर, लॉग टेबिल, नकल पर्चा/Rough Papers/Loose Paper Slip इलेक्ट्रानिक घंडी एवं अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा ।
2. परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, ईशारे करना व अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क करना ।
3. प्रतिबंधित सामग्री पाये जाने पर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौंपने से इंकार करना या उसे स्वयं नष्ट करना अथवा उपयोग करने पर यूएफएम प्रकरण दर्ज होगा ।
4. नकल प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना ।
5. सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना ।
6. सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना ।
7. परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोट पहुँचाना ।
8. परीक्षा कक्ष में मोबाईल अथवा अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण का उपयोग करना ।
9. ऐसे यूएफएम प्रकरण जिनमें अभ्यर्थी के साथ अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता प्रकट होती है
10. उपरोक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी का अन्य ऐसा कोई कार्य, क्रियाकलाप, प्रक्रिया अथवा प्रणाली जिससे परीक्षा की शुचिता एवं पवित्रता दूषित होती हो ।

यूएफएम. प्रकरणों में बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्र-3 में विधिवत जानकारी दर्ज करना अनिवार्य है, जिसे पृथक लिफाफे में नकल सामग्री/साक्ष्य सहित सीलबन्द किया जावे । उपरोक्त में से किसी भी कृत्य के आधार पर अथवा क्रियाकलाप/गतिविधियों में अभ्यर्थी की अपराधिक संलिप्तता होने पुलिस प्राथमिकी दर्ज की जावेगी ।

(ब) पररूपधारण (IMPERSONATION) के अंतर्गत अने वाले प्रकरणों के संबंध में

1. अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना/परीक्षा में शामिल होने का प्रयास करना, यह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कृत्य विधि के अनुसार अपराध है। ऐसे में अभ्यर्थी के विरुद्ध यूएफएम प्रकरण दर्ज करते हुये परीक्षा केन्द्राध्यक्ष द्वारा एफआईआर भी दर्ज करायी जावेगी । ऐसे अपराध के लिए आवेदनकर्ता एवं उसके स्थान पर परीक्षा में बैठने वाला व्यक्ति के विरुद्ध वैद्यानिक कार्यवाही की जावेगी ।
2. विभाग द्वारा आयोजित द्वितीय परीक्षा, दस्तावेजों के परीक्षण/सत्यापन व नियुक्ति के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाये जाते हैं, तो विभाग द्वारा उक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर मंडल को अवगत कराया जायेगा ।
पी.ई.बी. द्वारा इस प्रकार के समस्त प्रकरणों को बोर्ड स्तर पर गठित यूएफएम. समिति द्वारा परीक्षण उपरान्त, नियमानुसार कार्यवाही करते हुये अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता/परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सकता है ।

19/01/19
33

3.16 परीक्षा परिणाम का प्रकाशन :-

- (i) परीक्षा परिणाम घोषित होने के पूर्व पी.ई.बी. की वेबसाईट पर परीक्षा परिणाम के साथ-साथ विषयवार आदर्श उत्तर (subject wise model answers) अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये उपलब्ध होंगे।
- (ii) नियमपुस्तिका के अध्यायों में उल्लेखित नियमों के आधार पर पी.ई.बी. द्वारा अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी।
- (iii) संबंधित विभाग की अनुशंसा/निर्देश उपरांत परीक्षा परिणाम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध कराया जावेगा।
- (iv) विभाग/विभागों को भेजी जाने वाली मेरिट लिस्ट पी.ई.बी. की वेबसाईट पर भी अपलोड की जाएंगी।
- (v) अन्तिम कुंजी समिति की अनुशंसाएं भी पी.ई.बी. की वेबसाईट पर अपलोड की जाएंगी।

3.17 परीक्षा परिणाम :-

- (i) परीक्षा के सभी चरणों के सम्पन्न होने के बाद अभ्यर्थियों का परिणाम पी.ई.बी. की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर अपलोड किया जायेगा।

(ii) तदनुसार अभ्यर्थी वेबसाईट से डाउनलोड कर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। डाक से परीक्षा परिणामका प्रेषण नहीं किया जायेगा।

3.18 प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल का कार्य लिखित परीक्षाओं का संचालन एवं उसका परिणाम घोषित करना मात्र होगा :-

- (i) परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार पी.ई.बी. का होगा।

(ii) पी.ई.बी. अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं पी.ई.बी. द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा।

(iii) विभाग द्वारा मांग किये जाने की स्थिति में पी.ई.बी. परीक्षा के अन्य चरणों के परिणामों को समेकित कर अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित करेगा।

(iv) अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने पश्चात् परीक्षा से संबंधित अभिलेख पी.ई.बी. द्वारा जारी आदेश क्र. पी.ई.बी./2/स्था./11-38/2006/08/6473/2016 दिनांक 19.10.16 में उल्लेखित अनुसार नष्ट कर दिए जायेंगे।

3.19 न्यायिक क्षेत्राधिकार :- परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय के अंतर्गत रहेगा।

The image shows two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is more stylized and appears to be 'Rakesh Kumar'. The signature on the right is more formal and appears to be 'B. P. Singh'. Both signatures are dated '19/10/2016' at the bottom.

खण्ड-ब

5/3

3.20 ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण :-

- (i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ आवेदक को निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा।
- (ii) आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि को प्रपत्र प्रारूप-03 अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करना होगा।
- (iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवेदक को जन्मतिथि के प्रमाण हेतु आठवीं/दसवीं अथवा बारहवीं की अंकसूची को स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा।
- (iv) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाणीकरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र को स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा।

3.21 ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ फोटो एवं हस्ताक्षर संलग्न करने संबंधी निर्देश:-

- (i) आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि को प्रपत्र प्रारूप-03 अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करना होगा।
- (ii) जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होंगे। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये।
- (iii) पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा।
- (iv) अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खिंचा हुआ होना चाहिए। जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान भी स्पष्ट दिखाई दें।
- (v) उपरोक्त मापदण्ड के फोटोग्राफ संलग्न नहीं किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।
- (vi) फोटोग्राफ आवेदन भरने की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा फोटोग्राफ पर खिंचवाने की दिनांक व आवेदक के नाम का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये। यथा संभव अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में जैसा फोटो दाढ़ी में/कलीन शेव में लगाया गया है तो परीक्षा हाल में वैसी ही स्थिति में उपस्थिति दर्ज करानी होगी।
- (vii) यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं किया जायेगा।
- (viii) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया फोटो ही काउंसिलिंग/चयन प्रक्रिया में उपयोग में लाया जायेगा। अतः ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियाँ सुरक्षित रखा जाना होगा।
- (ix) ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे पूर्णतः स्पष्ट रूप से किये जाने होंगे। लघु हस्ताक्षर, अंग्रेजी के केपीटल अक्षरों में हस्ताक्षर अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।
- (x) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर परीक्षा हाल, काउंसिलिंग/चयन एवं प्रवेश के समय मान्य होंगे।

23/2/2022

3.22 एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधि :-

- (i) एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से भी ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरा जा सकता है, जिसके लिए चाहीं गई समस्त जानकारियों व फोटो सहित आवेदक को जाना होगा।
- (ii) पोर्टल पर द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन—पत्र के प्रारूप को नियमों के अनुरूप उचित रूप से भरना चाहिये।
- (iii) कियोस्कधारक आवेदक का फोटो, हस्ताक्षर व हस्तालिपि की दो लाईनों को स्कैन कर ऑनलाईन आवेदन—पत्र के साथ यथास्थान संलग्न करेगा।
- (iv) फार्म भरने के उपरांत आवेदक फार्म में भरी गई समस्त जानकारियां भलीभांति पढ़कर सही—सही जानकारी भरा होना सुनिश्चित करने पश्चात् ही कियोस्कधारक को पोर्टल शुल्क का भुगतान हेतु सहमति दें तथा नकद राशि का भुगतान कियोस्कधारक को करें।
- (v) भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्कधारक द्वारा कम्प्यूटराईज्ड आवेदन—पत्र सह रसीद आवेदक को उपलब्ध करायेगा, जिसमें आवेदक का ऑनलाईन आवेदन—पत्र में भरी गई समस्त जानकारी के साथ पोर्टल शुल्क भुगतान की जानकारी उपलब्ध रहेगी, जिसे स्वयं के पास संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकेगा।

3.23 ऑनलाईन आवेदन भरने के संबंध में निर्देश :

- (i) आवेदन पत्र, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि की रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाईन भरे जा सकते हैं। आवेदक द्वारा भरे जाने वाले आवेदन पत्र में राज्य एवं जिले का विवरण "मीनू" के माध्यम से प्राप्त होगा। जिससे भविष्य में आवश्यकतानुसार राज्य एवं जिले की आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सके।
- (ii) आवेदक को आवेदन पत्र में शरीर के स्थायी चिन्ह तथा परीक्षा के समय प्रस्तुत किये जाने वाले फोटो पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक अनिवार्य रूप से अंकित किया जाना होगा। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा।
- (iii) ऑनलाईन आवेदन—पत्र में भरी जाने वाली समस्त जानकारियों की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
- (iv) आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में शैक्षणिक अर्हता के अनुरूप अर्हता रखने वाली अंक सूची का क्रमांक तथा कुल प्राप्तांक, पूर्णांक सहित आवेदन पत्र में भरा जाना अनिवार्य है।
- (v) ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदक का अपना आधार कार्ड क्रमांक अनिवार्यतः अंकित किये जाने का प्रावधान रखा है। इसके उपयोग से
 1. आवेदन पत्र में आधार नम्बर की प्रविष्टि करना।
 2. उपरोक्त आधार नम्बर द्वारा M.P.S.R.D.H (मध्यप्रदेश स्टेट रेजिस्ट्रेट डेटा हब) की e-KYC सुविधा का लाभ लेते हुए आवेदन पत्र में उचित प्रविष्टि करना इस हेतु एम.पी. ऑनलाईन अथवा एप्लीकेशन फार्म फेस्टीलेशन एजेंसी द्वारा M.P.S.R.D.H. तथा स्वयं के मध्य एक वेब सर्विस एप्लीकेशन तैयार की जाकर एप्लीकेशन पोर्टल में अनुप्रयुक्त किया जाना है। इस हेतु आवेदक के रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर ओटीपी. भेजा जायेगा जिससे e-KYC सत्यापन हो सके।

25/12/18
F
राजकीय

3. जिन अभ्यर्थियों का आधार नामांकन में रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर परिवर्तित होगा उन अभ्यर्थियों को मात्र आधार नम्बर प्रविष्ट करना पर्याप्त होगा, किन्तु वे e-KYC का लाभ नहीं ले सकेंगे और ऐसी स्थिति में उन्हें आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्टिया करनी पड़ेंगी ।
 4. परीक्षा के ठीक पूर्व रजिस्ट्रेशन डेस्क पर अभ्यर्थियों का आधार इनेबिल्ड बायोमैट्रिक सत्यापन किया जाना है अब तक यह सत्यापन आधार (Aadhar) से लिंक नहीं था । इस हेतु पी.ई.बी. तथा M.P.S.R.D.H. के मध्यक एक एम ओ.यू. संपादित किया गया है जिसके द्वारा अभ्यर्थी का आधार इनेबिल्ड सत्यापन रजिस्ट्रेशन डेस्क पर स्वतः हो सकेगा ।
 5. जिन अभ्यर्थियों के पास आधार नम्बर नहीं है उनका Biometric Data/Thumb impression रजिस्ट्रेशन डेस्क पर पृथक से Capture किया जायेगा तथा इस डाटा को पी.ई.बी. के सर्वर में नियमानुसार सुरक्षित रखा जायेगा ।
 6. यदि किसी कारणवश रजिस्ट्रेशन डेस्क पर Biometric सत्यापन पर कोई त्रुटि आ रही है तो अभ्यर्थी का पर्याप्त परीक्षण किया जाकर परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जायेगी ।
 7. चयनित अभ्यर्थियों का Biometric Data संबंधित विभागों को हैश कोड लीड सीडी में उपलब्ध कराया जायेगा । विभिन्न विभागों द्वारा यह Biometric सत्यापन स्वयं के स्तर पर ही किया जावेगा ।
- (vi) पहचान पत्र के मीनू में पी.ई.बी. द्वारा अधिमान्य पहचान पत्र का प्रावधान रखा गया ।

3.24 ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने की व्यवस्था :-

- (i) ऑनलाईन आवेदन—पत्र एम.पी.आनलाईन की वेबसाईट www.mponline.gov.in के माध्यम से भरा जा सकता है ।
- (ii) इसके अतिरिक्त स्वयं के स्तर से भी उपरोक्त उल्लेखित वेबसाईट्स से डेबिट (कोई भी वीजा/मास्टर/मास्टर्स) कार्ड/क्रेडिट कार्ड (कोई भी वीजा/मास्टर कार्ड) या नेट बैंकिंग के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान कर ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरा जा सकता है ।
- (iii) सीधी भर्ती—बैकलॉग के रिक्त पदों हेतु अभ्यर्थियों द्वारा कोई परीक्षा शुल्क देय नहीं होगा ।
- (iv) शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ऑनलाईन आवेदन—पत्र की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि उसमें उल्लेखित आवेदन—पत्र क्रमांक का उपयोग कर मंडल की वेबसाईट के माध्यम से प्रवेश—पत्र प्राप्त किया जा सके ।

3.25 ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने हेतु दो विकल्प हैं :-

(अ) इंटरनेट के द्वारा (क्योस्क)

(ब) स्वयं के कम्प्यूटर द्वारा

- (i) आवेदक वेबसाईट www.mponline.gov.in के माध्यम से होम पेज पर उपलब्ध Citizen Services (नागरिक सेवाएं) के अंतर्गत **Application** लिंक कर **Vyapam** लिंक में

परीक्षा के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने संबंधी निर्देश / Instructions तथा परीक्षा नियम / Examination Rules उपलब्ध होंगे ।

- (ii) निर्देशां एवं नियमों का भलीभांति अध्ययन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने हेतु **Continue** बटन को क्लिक करें।
- (iii) ऑनलाईन आवेदन—पत्र में चाही गई समस्त जानकारियों को सही—सही भरना अनिवार्य है तथा किसी भी जानकारी के रिक्त रहने की स्थिति में ऑनलाईन आवेदन—पत्र जमा नहीं किया जा सकेगा।
- (iv) ऑनलाईन आवेदन—पत्र के साथ फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तालिपि की दो लाईनों की एक इमेज तैयार करने हेतु Link के माध्यम से प्रारूप मुद्रित कर उसमें यथास्थान हस्तालिपि की दो लाईने, फोटो तथा हस्ताक्षर कर उसे स्कैन कर jpg फार्मेट में ही कम्प्यूटर में सेव करें व इसे **Browse** बटन के माध्यम से सेव किए गए इमेज को ऑनलाईन आवेदन—पत्र के साथ संलग्न (Attach) करें।
- (v) ऑनलाईन आवेदन—पत्र को **Submit** करने के पूर्व पुनः पढ़कर सुनिश्चित करें कि आवेदन—पत्र में भरी गई जानकारी सही है अथवा नहीं। यदि किसी प्रकार की कोई गलती हो तो उसे ठीक करने के पश्चात् ही **Submit** बटन का उपयोग कर आवेदन—पत्र को जमा करें।
- (vi) आवेदन पत्र जमा होने पर आवेदन—पत्र क्रमांक दर्शाया जायेगा तथा पोर्टल शुल्क के भुगतान हेतु **proceed to payment** बटन का उपयोग किया जाना होगा, जिसके अंतर्गत दो विकल्प उपलब्ध होंगे :—
- (अ) क्रेडिट / डेबिट कार्ड
 - (ब) इंटरनेट बैंकिंग

3.26 क्रेडिट / डेबिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान :—

- (i) आवेदन—पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है।
- (ii) क्रेडिट / डेबिट कार्ड विकल्प का चयन करने पर निर्धारित बैंकों का भुगतान हेतु पेमेन्ट गेटवे उपलब्ध होगा, जिसमें क्रेडिट / डेबिट कार्ड का विवरण भर कर पोर्टल शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।
- (iii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा।

3.27 इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान :—

- (i) आवेदक के पास इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध होने पर ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान निर्धारित बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग से बैंक द्वारा प्रदाय यूजर आई.डी. का उपयोग कर किया जा सकता है।
- (ii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा।

- 3.28 आवेदक के पास उपरोक्त उल्लेखित क्रेडिट / डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वह ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने के उपरांत एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन—पत्र क्रमांक उपलब्ध कराकर **Unpaid Application** लिंक के उपयोग से शुल्क का भुगतान कर आवेदन—पत्र जमा कर रसीद एवं ऑनलाईन आवेदन—पत्र की प्रति प्राप्त कर सकता है, जिसे संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया / करवाया जा सकता है।

26/2/2018

Signature

3.29 निर्धारित तिथि में जमा किए गए ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन की व्यवस्था

- (i) ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार बिन्दुओं के आधार पर होगी:-
- (ii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में निर्धारित दिवस तक स्वयं आवेदक द्वारा इन्टरनेट से अथवा एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा।
- (iii) उक्त सुविधा केवल ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क राशि का भुगतान कर सफलतापूर्वक भरे गए आवेदन-पत्रों के लिए ही उपलब्ध होगी।
- (iv) संशोधन हेतु निर्धारित तिथियों की अवधि में आवेदक द्वारा एक या एक से अधिक बार अपने आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा, जिसके लिए प्रत्येक बार आवेदक को संशोधन शुल्क का भुगतान एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा।
- (v) उपरोक्त प्रक्रिया में किसी आवेदक द्वारा यदि श्रेणी अनारक्षित के स्थान पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का संशोधन किया जाता है, तो उसके द्वारा भुगतान की गई परीक्षा शुल्क राशि में से अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट की राशि वापस नहीं की जायेगी।
- (vi) परन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा अनुजाति/अनुजनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से अनारक्षित का संशोधन किया जाता है, तो उसे अनारक्षित के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क राशि में पूर्व में जमा की गई राशि का समायोजन कर शेष राशि का भुगतान करना होगा।
- (vii) संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदक को Vital Field अर्थात् नाम, पिता/माता/पति के नाम एवं जन्मतिथि में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा, अन्य प्रविष्टियों जैसे फोटो व हस्ताक्षर में संशोधन की सुविधा उपलब्ध होगी।
- (viii) संशोधन के लिए निर्धारित अवधि में स्वयं आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर व जन्मतिथि का उपयोग कर अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा तथा ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
- (ix) ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर, बोर्ड आवेदन-पत्र क्रमांक, मोबाईल नंबर एवं ई-मेल आई.डी. में संशोधन नहीं किया जा सकेगा।
- (x) संशोधन के लिए निर्धारित समयावधि के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर पी.ई.बी. द्वारा विचार नहीं किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये पी.ई.बी. द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा।

3.30 एक से अधिक ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने संबंधी निर्देश :-

- (i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की निर्धारित अवधि में किसी कारणवश यदि आवेदक एक से अधिक अर्थात् डुप्लीकेट ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरता है, तो उसे पूर्व में भरे गए आवेदन-पत्र की जानकारी यथा नाम, पिता/पति का नाम, माता का नाम जन्मतिथि, लिंग इत्यादि में समानता के आधार पर कम्प्यूटर पर सचेत किया जायेगा कि उक्त जानकारी का पूर्व से ही ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा गया है, क्या उसे निरस्त करना चाहते हैं? यदि आवेदक द्वारा "हॉ" विकल्प का चयन किया जाता है तब ही उसके द्वारा नवीन आवेदन-पत्र भरा जा सकेगा, अन्यथा पूर्व में भरा गया ऑनलाईन आवेदन-पत्र ही मान्य होगा।

- (ii) अभ्यर्थी द्वारा विकल्प "हॉ" का चयन कर नवीन आवेदन भरने की स्थिति में आवेदक के मोबाईल नंबर/ई-मेल आईडी पर एम.पी. ऑनलाइन द्वारा यथा सम्बन्ध पूर्व में भरा गया आवेदन निरस्त होने की जानकारी भेजी जाएगी तथा नवीन आवेदन-पत्र की हार्डकॉफी में भी पूर्व में भरा गया आवेदन पत्र निरस्त होने की जानकारी दी जायेगी।
- (iii) ऐसी स्थिति में पूर्व में भरे गए आवेदन का भुगतान किया गया शुल्क राजसात किया जावेगा तथा इसके स्थान पर भरे गए नवीन आवेदन-पत्र के लिए पुनः शुल्क का भुगतान करना होगा।
- (iv) आवेदक द्वारा छद्म रूप से एक से अधिक आवेदन किये जाने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जावेगी।

3.31 ऑनलाइन आवेदन-पत्र का निरस्तीकरण :—

- (i) एम.पी. ऑनलाइन से डेटा प्राप्त होने के उपरान्त नियम पुस्तिका में उपलब्ध करवाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर संबंधी स्पेशिफिकेशन के आधार पर फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तालिपि का परीक्षण पी.ई.बी स्तर पर भी सुनिश्चित किया जायेगा। इसके पूर्व एम.पी.ऑनलाइन द्वारा यह परीक्षण किया जाएगा।
- (ii) इनमें त्रुटि, अस्पष्टता, या डाटा की अनुपलब्धता होने की स्थिति में आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।
- (iii) इस संबंध में पी.ई.बी द्वारा कोई भी पत्राचार नहीं किया जायेगा तथा समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी।

3.32 ऑनलाइन आवेदन-पत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी/समस्या के लिए M.P. OnLine के Helpdesk के दर्शाए गए दूरभाष क्रं. 0755 - 4019400 पर सम्पर्क किया जाना होगा।

3.33 परीक्षा के प्रश्न पत्रों से संबंधित पाठ्यक्रम नियमपुस्तिका के पृथक अध्याय में दिया गया है।

3.34 म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ ३-१७/२०१४/१/३ भोपाल, दिनांक १८ दिसम्बर २०१४ के अनुसार आदेशित किया गया है कि बोर्ड के माध्यम से चयन सूची जारी होने के दिनांक से अधिकतम ०३ माह के भीतर चयनित उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश जारी करना सुनिश्चित करें। किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकरण में वैधता अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव मान्य नहीं होगा। यदि ऐसे प्रकरण परिलक्षित होते हैं तो इसके जिम्मेदार विभाग प्रमुख होंगे।

3.35 बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन प्रक्रिया :—

- (i) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 11.01.2010 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार तथा परिपत्र क्रमांक 796/982/2012/आप्र/एक दिनांक 26. 06.2012 के पालन स्वरूप मध्यप्रदेश के विशेष आदिम जनजाति समुदाय जैसे बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजातियों के ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदित पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता को पूर्ण करते हैं, वे अनुसूचित जनजाति संवर्ग में विज्ञापित पदों के विरुद्ध अपने आवेदन पत्र, आवेदन भरने की प्रस्तावित अन्तिम तिथि तक हार्ड कापी में समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों को संलग्न करते हुये सीधे नियुक्ति संबंधी कार्यवाही हेतु संबंधित विभाग को प्रेषित करें। आवेदक द्वारा बोर्ड को प्रेषित आवेदन पत्र अमान्य माना जायेगा।
- (ii) संबंधित विभाग द्वारा परीक्षा की तिथि के पूर्व बैगा, सहारिया एवं भारिया अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदनों के परीक्षण उपरान्त उनकी नियुक्ति संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी। इस कारण से विभाग के अनुसूचित जनजाति संवर्ग के पूर्व घोषित पदों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होता है तो संशोधित पदों की आरक्षण तालिका बोर्ड को उपलब्ध कराई जायेगी।

१५
२३/८/१८
३०/८/१८

- (iii) बोर्ड द्वारा अनुसूचित जनजाति संवर्ग के पूर्व घोषित पदों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होता है तो एक संक्षिप्त संशोधन विज्ञापन जारी किया जायेगा जो अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये बंधनकारी होगी ।
- (iv) अनुसूचित जनजाति संवर्ग के रिक्त पदों के विरुद्ध बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति समुदाय के अभ्यर्थियों की नियुक्ति उपरान्त, परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को इस संवर्ग के शेष पदों हेतु परीक्षा में बैठने का विकल्प विद्यमान रहेगा ।
- (v) अनुसूचित जनजाति संवर्ग के पूर्व घोषित सभी पदों की पूर्ति यदि बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति समुदाय के अभ्यर्थियों से ही हो जाती है तो ऐसी स्थिति में इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी के पदों के लिये परीक्षा में समिलित होने का विकल्प विद्यमान रहेगा ।
- (vi) तदुपरांत बोर्ड द्वारा अन्य श्रेणियों के पदों तथा अनुसूचित जनजाति के संशोधित पदों के लिये परीक्षा का आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा ।

3.36 पुनःगणना/पुनर्मूल्यांकन

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा परीक्षा परिणाम जारी किये जाने के पश्चात पुनःगणना/पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है । अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर पी.ई.बी द्वारा विचार नहीं किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये पी.ई.बी द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा ।

3.37 अभ्यर्थी द्वारा जानकारी/समस्या के लिए टोल फ़ी नम्बर 18002337899 पर सम्पर्क किया जा सकता है ।

29/03/17
गोपनीय

खण्ड-स

3.38 आवेदन पत्र भरने की समयावधि

ऑनलाइन आवेदन पत्र			ऑनलाइन आवेदन में संशोधन		
भरने की प्रारंभिक तिथि	भरने की अंतिम तिथि	भरने के कुल दिवस	करने की प्रारंभिक तिथि	करने की अंतिम तिथि	करने के कुल दिवस
27-02-2017	13-03-2017	15	27-02-2017	18-03-2017	20

3.39 आनलाईन परीक्षा का विवरण

स.क्र.	पाली	दिनांक	दिन	अवधि	समय	अधिकतम अंक
1.	प्रथम	1-2 अप्रैल 2017 शनिवार, रविवार	शनिवार	02 घंटे	प्रातः 09:00 से 11:00 तक	100
2	द्वितीय		एवं रविवार		प्रातः 03:00 से 05:00 तक	

परीक्षा में हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को कम्प्यूटर के माउस की सहायता से काला/विलक करना होगा।

3.40 (i) परीक्षा शुल्क :—

स.क्र.	प्रश्नपत्रों की संख्या	अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये	अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये (मप्र के मूल निवासियों के लिये)	निश्कर्तजन अभ्यर्थियों के लिये (मप्र के मूल निवासियों के लिये)	आवेदन पत्र जमा करने के लिये एम.पी.ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क	सीधी भर्ती बैकलॉग के अभ्यर्थियों के लिये
0	एक	500/- प्रति प्रश्न पत्र	250/- प्रति प्रश्न पत्र	प्रति प्रश्न पत्र 250/-	कियोस्क के माध्यम से भरने पर 70/- कियोस्क के माध्यम से न भरने पर 40/-	निरंक
1						

(ii) संशोधन किये जाने पर देय शुल्क

स.क्र.	प्रश्नपत्रों की संख्या	आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर शुल्क	आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर पोर्टल शुल्क
01.	एक	20/-	50/-

3.41 परीक्षा शहर :—

लिखित परीक्षा निम्नलिखित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी। मण्डल अपनी सुविधानुसार परीक्षा शहरों/केन्द्रों में परिवर्तन, कमी या वृद्धि कर सकता है। परीक्षा आनलाईन पद्धति से आयोजित है अतः परीक्षा शहर एवं परीक्षा केन्द्रों की उपलब्धता के अनुरूप अभ्यर्थियों को भी वांछित परीक्षा शहर के स्थान पर अन्य परीक्षा शहर आवंटित किया जा सकता है।

आनलाईन परीक्षा केन्द्र		
1. भोपाल	2. इन्दौर	3. जबलपुर
4. ग्वालियर	5. सागर	6. उज्जैन
7. सीधी	8. सतना	

[Signature]

खण्ड-द

ऑनलाईन परीक्षा प्रणाली के संबंध में निर्देश

3.42

- (i) परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के 1:30 घण्टे पूर्व अभ्यर्थी की उपस्थिति अनिवार्य है।
- (ii) परीक्षा तिथि पर परीक्षा केन्द्र में अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक प्रणाली से अंगूठे का निशान प्राप्त किया जाएगा। अभ्यर्थी के बायोमेट्रिक प्रणाली से अंगूठे का निशान प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उसे परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी।
- (iii) बायोमेट्रिक के अतिरिक्त अभ्यर्थी को टी.ए.सी. के द्वितीय भाग की प्रविष्टियों को भरकर लाना अनिवार्य है।
- (iv) पी.ई.बी की वेबसाइट पर अभ्यर्थियों के लिये ऑनलाईन परीक्षा के मॉक टेस्ट की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी, जिसका उपयोग कर आवेदक परीक्षा पूर्व, परीक्षा प्रक्रिया का अभ्यास कर सकता है।
- (v) पी.ई.बी. कार्यालय में भी आवेदक के लिये ऑनलाईन परीक्षा प्रक्रिया के अभ्यास की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
- (vi) अभ्यर्थी को परीक्षा के दौरान प्रत्येक प्रश्न के लिये उपलब्ध चार विकल्प में से एक विकल्प का चयन उत्तर अंकित करने के लिये अनिवार्य होगा।
- (vii) पी.ई.बी. की वेबसाइट पर परीक्षा समाप्त होने के अगले दिवस प्रश्न पत्र एवं मॉडल उत्तर प्रदर्शित किये जायेगे जिसके आधार पर आवेदक प्रश्न एवं उनके उत्तर विकल्पों के संबंध में अपना अभ्यावेदन नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत कर सकेगा।
- (viii) अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त अंतिम उत्तर कुंजी (आदर्श उत्तर) तैयार किये जायेंगे। जिसके आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार कर घोषित किया जाएगा।
- (ix) ऑनलाईन आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड के द्वारा ही ऑनलाईन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त / जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।
- (x) परीक्षा का आयोजन एक से अधिक शिफ्ट में किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थियों के स्कोर का Normalisation करने का प्रावधान मण्डल के पास सुरक्षित रहेगा।
- (xi) नियम पुस्तिका में परीक्षा आयोजन का समय परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित / संशोधित किया जा सकता है।
- (xii) परीक्षा आयोजन की निर्धारित तिथि में परिस्थिति अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है तथा परीक्षा का आयोजन निर्धारित तिथि के पूर्व या पश्चात भी किया जा सकेगा।
- (xiii) ई-आधार कार्ड का प्रिन्ट आउट मूल आई डी के रूप में मान्य नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी को केवल मूल फोटो युक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर ही परीक्षा में बैठने की पात्रता होगी।
- (xiv) परीक्षा में निर्धारित रिपोर्टिंग समय के 30 मिनिट पश्चात आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

पाठ्यक्रम


प्रश्नपत्र का विवरण

सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय बल्लभ भवन, भोपाल के संशोधन परिपत्र
क्रमांक 6 दिनांक 10 फरवरी 2017

प्रश्न पत्र का स्तर :

कुल अंक 100

सं. क्र.	प्रश्नपत्र का विवरण	
1.	सामान्य ज्ञान	
2.	सामान्य हिन्दी	
3.	सामान्य अंग्रेजी	
4.	सामान्य गणित	
5.	सामान्य विज्ञान	
6.	सामान्य अभिरुचि	
7	एवं तकनीकी ट्रेड पर आधारित प्रश्न	75
	कुल अंक	100



10/02/17

पाठ्यक्रम (SYLLABUS)

लैब असिस्टेट / लैब अटेंडेट / प्रयोग शाला सहायक (औषधि)

(A) Physics

Unit and dimensions, dimensional analysis, S.I. Units, Motion in two dimensions Cases of uniform velocity and uniform acceleration, General relation between position and velocity, Uniform circular motion, Force and inertia. Newton's Laws of motion. Conservation of momentum and energy. Static and kinetic friction. Work energy and power collisions, potential energy, gravitational potential energy and its angular conversion to kinetic energy. Potential energy of a spring, Rigid body rotation and conservation of its momentum. Moment of inertia, theorems of parallel and perpendicular axis. (Moment of inertia of uniform ring, disc, thin rod and cylinder only).

Acceleration due to gravity and its variation, Universal law of gravitation, geostationary satellites, escape velocity.

Hooke's law, Young's modulus, shear and bulk modulus, surface energy and surface tension, kinetic theory of gases, gas laws, kinetic energy and temperature. Specific heats at constant volume and constant pressure. Mechanical equivalent of heat, isothermal and adiabatic processes.

Heat conduction in one dimension, convection and radiation, Stefan's Law and Newton's law of cooling. Periodic motion, Simple harmonic motion, Oscillations due to spring, Wave motion principle of superposition; Progressive and stationary waves, Beats and Doppler effect.

Wave nature of light, Interference, Young's double slit experiment, Velocity of light and Doppler's effect in light. Reflection, refraction, total internal reflection, curved mirrors, Lenses, mirror and lens formulae. Dispersion in prism, absorption and emission spectra.

The human eye, defects of vision, magnification and resolving power of telescope and microscope "e" and "e/m" for an electron, Einstein's photoelectric equation, photocells. Bohr model of the atom, Hydrogen spectrum, Composition of nucleus, atomic masses and isotopes, radioactivity, laws of radioactive decay, decay constant, half life and mean life,

Mass-energy relation, fission. X-Ray: Properties and uses.


Elementary ideas of conductor, semi-conductor and insulator, intrinsic and extrinsic semi conductors, np Junction as a rectifier.

Bar magnet, lines of force, torque on a bar magnet due to magnetic field, earth's magnetic field, tangent galvanometer, vibration magnetometer.

Coulomb's law of electrostatic, dielectric constant, electric field and potential due to a point charge, dipole, dipole field, Gauss's law in a simple geometrics. Electrostatic potential, capacitance, parallel plate and spherical capacitors capacitors in series and parallel, energy of a capacitor.

Electric current, Ohm's law, Kirchhoff's laws, resistances in series and parallel temperature dependence of resistance. Wheatstone bridge, potentiometer. Measurement of voltages and currents. Electric power, heating effects of currents, chemical effects and law of electrolysis, thermoelectricity. Biot Savart law.

Magnetic fields due to a straight wire circular loop and solenoid. Force on a moving charge in a magnetic field (Lorentz force), Magnetic moment of a current loop, effect of a uniform magnetic field of a current loop, forces between two currents, moving coil, galvanometer, ammeter and voltmeter.



 PLE 23/21/25
 Galwanometer

Electromagnetic induction induced emf, Faraday's law, Lenz's law, self and mutual inductance alternating currents, impedance and reactance growth and decay of current in L-R circuit, elementary idea of dynamo and transformer.



(B) Chemistry

General and Physical Chemistry

Structure of Atom : Constitution of nucleus : Bohr's atom model : quantum numbers Aufbau principle, electronic configuration of elements (upto-Kr) : de-Broglie relation, shapes of orbitals. Chemical Bond : Electrovalent, covalent and coordinate bonds, hybridization (sp) : hydrogen bond: shapes of molecules (VSEPR theory) : bond polarity, resonance, Elements of VBT MOT.

Solutions: Modes of expressing concentrations of solutions: Types of solutions, Raoult's law of colligative properties, non-ideal solution, abnormal molecular weights.

Solid State: Crystal lattices, unit cells, Structure of ionic compounds: close packed structure Ionic radii, imperfections (Point defects): Properties of solids. Nuclear Chemistry: Radio active radiations: half-life, radioactive decay, group displacement structure and properties of nucleus: Nuclear reaction, disintegration series, artificial transmutation: isotopes and their uses, Radio carbon dating.

Chemical Equilibrium: Chemical equilibrium, Law of mass action: KP and KC: Le Chatelier principle and its application. Ionic Equilibria in solutions, Solubility product, common ion effect, theories of acids and base hydrolysis of salts: pH : buffers.

Thermochemistry and Thermodynamics: Energy changes during a chemical reaction: intrinsic energy enthalpy, first law of thermodynamics: Hess's law, Heats of reactions: Second law of thermodynamics: entropy: free energy; spontaneity of a chemical reaction; free energy change and chemical equilibrium; free energy as energy available for useful work. Chemical kinetics, Rate of a reaction, factors affecting the rate, rate constant, rate expression, order of reaction, first order rate constant expression and characteristics, Arrhenius equation.

Electrochemistry: Oxidation, Oxidation number and ion-electron methods. Electrolytic conduction. Faraday's laws; voltaic cell, electrode potentials, electromotive force, Gibb's energy and cell potentials. Nernst equation, commercial cells, fuel cell, electrochemical theory of corrosion. Surface chemistry, Colloids and Catalysis; Adsorption, Colloids (types preparation and properties), Emulsions, Micelles, Catalysis: Types and characteristics.

Inorganic Chemistry :

Principles of metallurgical-operations : Furnaces, ore concentration, extraction, purification metallurgies of Na, Al, Fe, Cu, Ag, Zn and Pb and their properties.

Chemical periodicity : s, p, d and f-block elements, periodic Table: periodicity : atomic and ionic radii, valency, ionization energy, electron affinity electronegativity, metallic character.

Comparative study of elements: Comparative study of the following families of elements: (i) alkali metals (ii) Alkaline earth metals (iii) Nitrogen family (iv) Oxygen family (v) Halogens (vi) Noble gases.

Transition metals: Electronic configuration of 3d-metal ions, oxidation states, other general characteristic properties, Potassium permanganate, Potassium dichromate.

Co-ordination compounds : Simple nomenclature, bonding and stability, classification and bonding in organometallics.

Chemical analysis: Chemistry involved is simple inorganic qualitative analysis: calculations based on acid-base titrimetry.



Organic Chemistry :

Calculation of empirical and molecular formula of organic compounds, Nomenclature of organic compounds, common functional groups isomerism structure and shapes of alkanes, alkenes and benzene.

Preparation properties and uses of alkynes, alkyl, benzene, petroleum, cracking octane number, gasoline additives.

Nomenclature, Physical chemical properties, correlation of physical properties with structure properties and uses of haloalkanes, halobenzenes, alcohols and phenols: General ideas of some polyhalogen compounds viz., dichloroethanes, dichloroethers, chloroform, carbon tetrachloride D.D.T., benzene hexachloride.

Nomenclature, methods of preparation, Chemical properties correlations of physical properties with structures and uses of ethers, aldehydes, ketones, carboxylic acids and their derivatives,

Brief account of the chemistry of Cyanides, isocyanides, amines and nitro compounds.

Polymers : Classification : Preparation and uses of common natural and synthetic polymers.
Biomolecules : Classification, Structures and biological importance of carbohydrates amino acids, peptides, proteins and enzymes, nucleic acids and lipids.

(C) Botany

Structural organization of cell, cell theory. Light and Electron Microscopic view of cell. Structure and functions of cell organelles : Nucleus Mitochondria, Chloroplast Endoplasmic reticulum, Golgi complex lysosome, microbodies microfilaments Ribosomes, Centrioles and Plasmids, Eukaryotic Chromosome (Morphology) cell and plasma membrane, Difference between plant and animal cell. Division, cell cycle significance of mitosis and meiosis.

Mendel's Laws of inheritance, Monohybrid and dihybrid cross; linkage and crossing over of genetic material DNA replication, genetic code transcription, transcription and gene regulation. Difference between Prokaryote and Eukaryotes : Structure reproduction and economic importance of viruses Mycoplasma, Bacteriophage, Cyanobacteria (Nostoc) and Bacteria.

Five Kingdom classification, Binomial Nomenclature, External morphology and life cycle of Spirogyra mucr, Funaria Selaginella and pinus.

Elementary knowledge of microsporogenesis megasporogenesis. Fertilization endosperm and embryo development in Angiosperms.

Tissues and tissues systems, meristematic and permanent tissue, Mineral nutrition essential elements and their functions: uptake of minerals transport of water and solutes. Transpiration Photosynthesis and Respiration: Importance, mechanism and factors affecting this processess: Photorespiration.

Enzymes and growth hormones with reference to their classification. Chemical nature, mode of action, importance. Elementary idea of photoperidism and phytochrome.

Ecosystem - Structures and function, Major ecosystems i.e. lake and Forest; Food chain, Food web and energy flow, Ecological crisis- Role of man in polluting Environment - Air, Water and Soil.

Role of plants in human welfare: A general knowledge of plant products of economic value- Drugs, Fibers, Cereals.

Wheat and Rice, Pulse (gram), Oil seeds (Ground nut), Sugarcane, Coal and petroleum. Food preservation-methods and importance. Principle of plant breeding and its role in improvement of crops. Biotechnology; scope and importance in Agriculture and industrial manufacture of cheese. Yoghurt, Alcohol Antibiotics.

20/12/22
30/12/22

(D) Zoology

Multicellularity - Structure and Function of Animal Life :

Structure and function of Animal tissues Epithelial, Connective Muscular, Skeletal and Nerve. Histology of mammalian organs - Stomach, Intestine, Liver, Kidney, Lung, Testes and Ovary. Structure and Physiology of different organ systems of Human body. Skin, Digestive system, Respiratory system, Circulatory system.

Skeleton, Joints, Muscles on the basic of movement receptors. Endocrine system with special reference to various Endocrine glands of man and hormonal coordination. Vitamins & minerals (source and disorders due to deficiencies).

Developmental Biology and Genetics:

Female reproductive cycles in mammals. Gametogenesis alongwith structure of sperm and ovum. Types of eggs, Fertilization, cleavage types of egg and blastula. Development of mammals upto three germinal layers. Foetal membranestructure and functions. Growth, repair and ageing, aminocentesis. - Chromosomes, Types of chromosome, Human karyotype and chromosomal abnormalities and syndromes, Hormonal, Chromosomal and Genic Balance theory of sex determination, Sex linkage and sex linked inheritance in Man.

Blood Group and their significance, Blood Bank.

Tissue culture, Genetic Engineering (Brief idea). Mutation, gene mutation.

Human population, natality, Mortality, Sex ratio, Population explosion, dynamics of human life with respect to food supply, housing, health and standard of living, impact of population problems and their control.

Taxonomy Evolution and Economic Zoology:

Classification - Binomial and trinomial nomenclature, Basic features of classification, Classification of different animal phyla upto classes with characters and suitable examples. Origin of life, Theories of organic evolution-Darwin Lamarck, Synthetic Evidence of organic evolution, Human Evolution. Economic Zoology/Sericulture, Apiculture, Lac culture, Poultry, Fishery and Pearl industry. Protozoan disease in relation to man. Insect carrying diseases in relation to man. Cancer-types of cancer and cancer cell. Communicable diseases (Hepatitis, AIDS) STD, Immune Response, Vaccines and antisera allergies. Smoking, alcoholism and drug addiction, symptoms and control. Wild conservation.

Pesticides - Uses, advantages and hazards.

[Signature]

पाठ्यक्रम (SYLLABUS)

EEG टेक्नीशियन

- Basic Human Sciences
- Introduction to neuroscience
- Electroneurodiagnostic technology
- EEG instrumentation
- Electroneurodiagnostics
- Neurological disorders
- EEG recording
- Electrocardiography
- EEG lab management
- Clinical correlations
- EEG clinical practicum

2/2/17
गणेश

पाठ्यक्रम (SYLLABUS)

प्रोस्थेस्टिक टेक्नीशियन

Prosthetics (Upper Extremity)

- (i) Classification by level of amputation.
- (ii) Medical consideration applied anatomy and pathological consideration
- (iii) Classification of congenital skeletal limb deficiencies
- (iv) Prosthetic prescription
- (v) Amputee trainee (i) Components of upper extremity prostheses, control & harness systems.
(ii) Fabrication principle & procedures for upper extremity prostheses
(iii) Measurement fitting & alignment
(iv) Check-out & care of B.E. prostheses.
(v) Bio-mechanics of U.E. prostheses.
(vi) Harness & control systems Below Elbow harnessing & this causes, shoulder amputee harnessing
(vii) Clinical aspects of U.E. prosthesis
(viii) Training in the use of U.E. prosthesis
(ix) Electro-mechanical myoelectric and other externally powered prostheses
- (x) Study of publication sources for updating information on upper limb prostheses

Prosthetics (Lower Extremity)

1. Medical Subjects (i) Levels of amputation & limiting factor (lower extremity)
2. (ii) Psychological aspects of amputation
3. (iii) Classification of congenital skeletal limb deficiencies.
4. (iv) Prosthetic / Orthotic assessment and evaluation techniques
5. (v) Prosthetic prescription
6. (vi) Immediate & early Prosthetic management
7. Technical (i) Prosthetic components below knee & above knee
 - (ii) Examination of stump, measurement, cast taking POP modification, fabrication, alignment & fitting procedures for below knee & above knee amputations (this include prosthesis for partial foot, choparts, syme's below knee, through knee above knee amputations)
 - (iii) Gait analysis of BK/ AK amputees fitted with prostheses.
 - (iv) Check out of below knee & above knee prosthesis
 - (v) Maintenance & care of prosthesis
 - (vi) Hip disarticulation & Hemipelvectomy prosthesis
 - (vii) Bio-mechanics of below knee, above knee & hip disarticulation prosthesis
 - (viii) Fluid controlled prosthesis
 - (ix) Modular & other modern types of prosthesis

पाठ्यक्रम (SYLLABUS)

रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन

Basic sciences

Applied Anatomy & Physiology of all malignant Tumors of the human body.

Oral Cavity, Pharynx, Larynx, Oesophagus, G.I. Geneto urinary system, Respiratory systems.

The pathology of the tumors.


1. Radiotherapy Machines:

Superficial X-Ray therapy, orthovoltage, therapy or Deep X- Ray therapy, Mega voltage therapy Van De graph Genetor, Linear Accelerator, Betatron Cyclotron, Machines, using Radio nuclides, Cobalt- 60 units, Caesium- 137 Units Source Housing Beam Collimation and Penumbra.

2. Radio effects of ionizing radiation & Radiation Protection Cell and its Constituents, Effects of radiation of cells, Cell Cervical Curves somatic effects, hereditary effects of Radiation in Man. Operational Limits, Dose Limits for Radiation Workers, Dose Limits to members of Public, Personal Monitoring Film Badge, Radiation Hazard evaluation and control, Time, Distance and shielding, Planning of Teletherapy and Brach therapy Facility. Radiation Emergencies and Preparedness Radiation Safety during source transfer Units, National Regulatory Requirements for Radiotherapy equipment radiation Protection Survey.

3. Treatment Planning: Absorbed Dose, Depth Dose Distribution, Percentage Depth Dose, Initial Dos buildup, issue Air Ratio, Back Scatter factor, Scatter air radio, Isodose, charts field size, wedge filters, Combination of Radiation fields Parallel opposed fields, Multiple fields, SSD Technique, SAD Technique wedge field Techniques, Uniform Dose Distribution, Tumour Dose, specification, Target volume, Treatment volume, Rotation Therapy, ARC therapy, Tissue compensators, design of Compensators, Compensators wedges, Patient positioning simulation Procedure, Treatment setup, Field Blocks & Field shaping as a function of Photon energy, skin sparing at oblique incidence, separation of adjacent fields, Electron Beam Therapy.

4) Nuclear medicine: Radio Nuclides in Nuclear Medicine Production of short lived radio nuclides, nuclear medicine isotopes used in vivo & Vitro tests, decontamination procedures, scintillation camera, scanners and uptake studies, Program and other Gamma Camera ionizing imaging procedures, Hand & foot detectors. Flame hard and isotope waste wet & dry disposal procedures. Preparation for labeling and tragedy of isotopes in imaging.

A series of handwritten markings, including a large signature on the left, initials 'R.D.' in the center, and a date '20/2/21' written twice, followed by a signature 'Jaswant' on the right.

RADIATION PHYSICS

1) Structure of matter:

The Atom, the nucleus, elemental particles, Atomic Mass and energy units, extra nuclear structure, molecular structure and Bonds, Atomic Energy Levels, Nuclear Energy levels, Electro magnetic Radiation, Quantum Nature of Radiation. The Electro magnetic Spectrum, Radiation Energy, Particle Radiation.

2)The Fundamentals of Nuclear physics: Natural & Artificial Radio- Activity, Exponential Decay, and activity. The Half life and Radio Active Series, Growth of Radio Active Daughter (Equilibrium) Modes of Radioactive Decay, Alpha Decay, Beta decay, Internal conversion Isomeric Transition, Nuclear Reaction, The (Alpha, P) (Alpha, N) Reactions, Proton, Bombardment photo Disintegration, Fission, Fusion, Activation of Nuclides.

3)Production of X- Rays: The X- Ray Tube: - Anode, Cathode, Basic X- Ray, Circuit, Voltage rectification Diagnostic X- ray tube, The Ray X- ray tube physics of X- rays production, Bremasstrahlung Characteristics X-ray: Operating characteristics of X- ray tubes (ratings), KVP, MAS cooling time Modern, X-Ray tubes. Focal spot rotating Anodes, X- Ray tube housing special purpose, X- ray tubes, X- Ray timers, Calibration of timers- spinning top. Quality controls of an X- Ray installation.

4)Interaction of X- Rays & R- Ray with matter: Ionization, Beam, attenuation, Half value layer, Linear attenuation co- efficient Mass attenuation co- efficient photoelectric adsorption, Compton Absorption and coherent shattering pair production stopping power of medium penetration of charged particles through matter.


5)The Radio logic Examination: The primary Radio logic image, Radiographic, Images Radiographic and Fluorescent screens, Image Amplifying systems, Radiographic film, Grids, Factors effecting the Radio logic Image, Characteristics curve of film, Dark room film, automatic film processors.

6)Radiation Quantities and Units: anode, X- ray housing special purpose X- Ray Tubes, X- ray timers, Activity, Kerma, Exposure, Absorbed Dose, Dose equivalent dose.

7)Principles of Radiation detection and Monitoring Devices: Using a generator, elution procedure with BARC MO- TC Generator, production of TC- 99 M., Localization Mechanisms, General Methodology of preparing Radio pharmaceutical, Quality control of Radio- Pharmaceutical, TC- 99 M. leveled radio Pharmaceutical, Radio- Iodine leveled Compounds, Compounds leveled with other Radio Nuclides statistics of Radio- Isotopes counting Resolving time and loss of counts, sodium iodide, as X- ray detector, ER- Ray, spectrometer, preamplifier, Amplifier, Pulse storage Data processing and display, Thyroid uptake probe, Rectilinear scanner, Gamma Camera, Collimator performance, Collimator detector sensitivity, Collimator properties, pin hole and multi channel collimators, Gamma Camera performance tests, Hines reference, Phantom and Bar Phantoms. Dynamic perfusion Scanning procedure of thyroid Brain, lung, Bone, Kidney, Liver, Spleen, Pancreas, and Myocardial imaging Radionuclide Therapy.

पाठ्यक्रम
महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता
(भारतीय नर्सिंग कांउसिल निर्धारित पाठ्यक्रम)

- i. Community health nursing
 - ii. Health Promotion
 - A. Nutrition
 - B. Human Body & Hygiene.
 - C. Environmental Sanitation
 - D. Mental Health
 - iii. Primary Health care nursing –I
 - A. Infection and immunization
 - B. Communicable Diseases.
 - C. Community health problems
 - D. Primary medical care
 - E. First aid and referral
 - iv. Child Health Nursing
 - v. Midwifery
 - vi. Health Center Management
-


 ३/१३
 २०१३

पाठ्यक्रम
नेत्र सहायक

Anatomy and Physiology

Human Anatomy with special reference to special senses. Organs of special senses. Pansy Orbit and ocular adnexa (lids & lacrimal system). Ocular muscles & cranial nerves. Gross anatomy of coats of eye ball (Cornea, Sclera Uvea, retina, lens & Vitreous).

Physiology of the Eye Ball:

Physiology of vision including colour vision. Ocular movements & Binocular Vision. Accommodation & convergence. Formation & circulation of aqueous & lacrimal fluids.

Physics & Optics:

Law of refraction & reflection spherical & cylindrical surfaces. Optical aberrations of ophthalmic glasses. Prisms (a) Nomenclature (b) Uses.

Microbiology:

Introduction to the various organisms responsible for ocular diseases (Bacteria, virus & fungi). Technique of conjunctival smears, cultures, scrapings & staining (Gram's & KOH). Infections & its prevention-routes, cross infection antisepsis & asepsis.

Clinical Pathology:

Examination of urine – Gross albumin & sugar. Preparation & staining of blood slides for DLC and malarial parasite.

Pharmacy:

various methods of Administration of drugs in ophthalmic diseases. Preparation and dispensing of various ophthalmic drugs including fluorescence, Mercurochrome, sodium sulphacetamide, homatropine, atropine pilocarpine & antibiotic drops. various side reaction of common ophthalmic drugs & drug abses. Anaesthetics & Antibiotics and acetazolamide. Miotics & Mydriatics.

Vision Testing:

various components of vision, principles of testing for visual acuity.

Geometrical & Physiological Optics:

Optics of human eye and refractive errors. Myopia, hypermetropia & its correction. Aphakia its correction. Astigmatism, Prebyopia & its correction. Ophthalmic Lenses. Contact Lenses-uses and abuses. Checking of spectacles. Protective glasses & L.V.A.

Retinoscopy & Subjective Testing:

Visual Fields:

Common Eye Diseases:

Types of conjunctivitis including trachoma. Corneal ulcers & opacities. Iritis & cataract. Lids & lacrimal sac. And eye emergencies. Chemical & radiational injuries including prevention, first aid & treatment. Mechanical injuries, prevention first & treatment.



Glaucoma:

Squint:

Systemic Disorders:

Diabetes & hypertension.

Nursing care of Ophthalmic Patients:

Ophthalmic Instruments:

Ocular Surgery, Fundamentals of Asepsis Technique:

Ophthalmic Dianosis Equipment (Maintenance):

Minor Surgical Procedures:

Emergency Resuscitation: General & Ophthalmic.

Medical Records: Diseases index, alphabetic index, and numerical index major & minor surgical records.

Health Education:

National Plan for Control of Blindness. Screening of School children for eye problems. Survey methodology. Rehabilitation of blind & vocational training for blind. Role of Ophthalmic Assistants in eye camps.

Training at Mobile Ophthalmic Unit, Organization of Eye camps. Publicity technique. Arrangements of OPD at camps. Arrangements of refraction of camps. Arrangements operation theatre at camps. Arrangements of wards at camps. Arrangements of sanitation and illumination at camp. Arrangements of catering at camps. Arrangements of exhibition at camp. Public relation with voluntary organization. Interaction with volunteer. Health education – General & Ophthalmic. Survey in Schools & Sub-health Centres.

Pre-operative preparation of patient in camp. Anaesthesia & Akinesia. Dispensing & Preparation of drops. Eye dressing & bandaging including preparation of dressing trolley. Role of Ophthalmic Assistant in O.T. Sterilization, carbolization & Fumigation. Follow up instructions to patients & follow up visit. Eye Health education.

Ocular Emergencies :

Injuries of the eye including F.B.'s. Acute glaucoma. Causes of sudden blindness.

*f
20/21/22
Sahai*

पाठ्यक्रम फार्मासिस्ट

PHARMACEUTICS

Introduction to different dosage forms, their classification with examples—their relative applications. Familiarization with new drug delivery systems. Introduction to Pharmacopoeias with special reference to the Indian Pharmacopoeia. Size reduction, Size separation, Metrology—system of weights and measures. Calculations including conversion from one to another system. Percentage calculations and adjustment of products. Use of alligation method in calculations. Isotonic solutions. Mixing and homogenization. Packaging of pharmaceuticals Extraction and galenicals, Clarification and filtration, Heat processes, Introduction to drying processes, Distillation, Sterilization—concept of sterilization and its differences from disinfection—thermal resistance of microorganisms. Detailed study different sterilization processes. Study of immunological products like sera, vaccines, toxoids and their preparations., Processing of tablets, Processing of capsules

PHARMACEUTICAL CHEMISTRY

Acids, bases and buffers, Gastrointestinal agents, Acidifying agents, Antacids, Protectives and adsorbents, Saline cathartics. Antioxidants, Topical agents — (i) Protectives (ii) Antimicrobials and astringents (iii) Sulphur and its compounds (iv) Astringents—alum and zinc sulphate. Dental product, Inhalants, Respiratory stimulants, Expectorants and emetics, Antidotes. Major intra and extracellular electrolytes, Inorganic official compounds of iron, iodine and calcium; ferrous sulfate and calcium gluconate. Radio pharmaceuticals and contrast media radioactivity, Identification tests for cations and anions as per Indian Pharmacopoeia. Quality control of drugs and pharmaceuticals

PHARMACOGNOSY

Definition, history and scope of pharmacognosy including indigenous system of medicine. Various systems of classification of drugs of natural origin. Adulteration and drug evaluation; significance of pharmacopoeial standards. therapeutic effects and pharmaceutical applications of alkaloids, terpenoids, glycosides, volatile oils, tannins and resins. Occurrence, distribution, organoleptic evaluation, chemical constituents including tests wherever applicable and therapeutic efficacy of (a) Laxatives (b) Cardiotonics (c) Carminatives & G.I. regulators catechu, hyoscyamus, belladonna, aconite, ashwagandha, ephedra, opium, cannabis, nux vomica, rauwolfia, vasaka, tolu balsam, tulsi, guggal, colchicum, vinca, chaulmoogra oil, pterocarpus, gymnema sylvestro, gokhru, punarnava, ipecacuanha, benzoin, myrrh, neem, curcuma, cinchona, ergot, shark liver oil and amla, papaya, diastase, yeast. Collection and preparation of crude drugs from the market as exemplified by ergot, opium, rauwolfia, digitalis, senna. Study of source, preparation and identification of fibres used in sutures and surgical dressings—cotton, silk, wool and regenerated fibres.

BIOCHEMISTRY AND CLINICAL PATHOLOGY

Introduction to biochemistry. Brief chemistry and role of carbohydrates, proteins, lipids, their classification and related diseases. Role of minerals and water in life processes. Brief chemistry and role of vitamins and coenzymes. brief concept of enzymatic, Introduction to pathology of blood and urine.

HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY

Definition of various terms used in anatomy, physiology, Structure of cell, function of its components with special reference to mitochondria and microsomes. Elementary tissues of the body, Composition of

blood, blood group and coagulation of blood, Name and functions of lymph glands. Anatomy and physiology of different body systems in Brief .

HEALTH EDUCATION & COMMUNITY PHARMACY

Concept of health—definition, indicators of health, concept of disease, prevention of diseases. Environment and health. First aid—emergency treatment in shock, snake bite, burns, poisoning, heart disease, fractures and resuscitation methods. Elements of minor surgery and dressings. Fundamental principles of microbiology, organisms of common diseases. Non-communicable diseases—causative agents, prevention, care and control. Cancer, diabetes, blindness, cardiovascular diseases. Communicable disease—causative agents, modes of transmission and prevention. (a) Respiratory infections—chicken pox, measles, influenza, diphtheria, whooping cough and tuberculosis. (b) Intestinal infections—poliomyelitis, hepatitis, cholera, typhoid, food poisoning, hookworm infection. (c) Arthropod borne infections—plague, malaria, filariasis. (d) Surface infections—rabies, trachoma, tetanus, leprosy. (e) Sexually transmitted diseases—syphilis, gonorrhoea, AIDS. Nutrition and health, vitamins and minerals. Demography and family planning, natural family planning methods, chemical methods, mechanical methods, hormonal, contraceptives, population problem of India. Epidemiology — Immunity and immunisation, immunological products and their dose schedule. Principles of disease control and prevention, hospital acquired infection, prevention and control.

DISPENSING PHARMACY

Prescriptions : Reading and understanding of prescription; Incompatibilities in prescriptions, Posology: Dose and dosage of drugs, Dispensed Medications: (i) Powders (ii) Liquid oral dosage (b) Biphasic liquid dosage forms: • Suspensions • Emulsions (iii) Dental and cosmetic preparations: (iv) Semi-solid dosage forms: (a) Ointments (iv) emulsification. (v) Sterile dosage forms: (a) Parenteral dosage forms (b) Sterility testing, (c) Ophthalmic products— study of essential characteristics of different ophthalmic preparations.

PHARMACEUTICAL CHEMISTRY II

chemistry of pharmaceutical organic compounds covering their nomenclature, chemical structure, uses and the important physical and chemical properties. The stability and storage conditions and the different types of pharmaceutical formulations of the drugs.

Pharmacology and Toxicology

Introduction to pharmacology, scope of pharmacology. Routes of administration of drugs, their advantages and disadvantages. Various processes of absorption of drugs and the factors affecting them. Metabolism, distribution and excretion of drugs. General mechanism of drugs action and the factors which modify drugs action. Pharmacological classification of drugs. (i) Drugs acting on the central nervous system: (a) General anaesthetics, intravenous anaesthetics. (b) Analgesic, antipyretic, sedatives and hypnotics, anti-convulsants, (ii) Local anaesthetics. (iii) Drugs acting on autonomic nervous system. (iv) Drugs acting on eye, (v) Drugs acting on respiratory system (vi) Antacids, (vii) Cardiovascular drugs, (viii) Drugs acting on the blood and blood forming organs. (ix) Drugs affecting renal function (x) Hormones and hormone antagonists (xi) Drugs acting on digestive system

Pharmaceutical Jurisprudence

पाठ्यक्रम
प्रयोगशाला तकनीशियन / लेब टेक्नीशियन

25

APPLIED ANATOMY & PHYSIOLOGY

Study of the structure of a cell. - Normal anatomical Structure, Histology and Functions, (Physiology) of the all Human Body Systems,

BIOCHEMISTRY

Biochemical structure of the Carbohydrates Proteins, Lipids Enzymes

Clinical Biochemistry - Kidney function tests, Liver function Test, Cardiac Profile, Lipid Profile

HEMATOLOGY

Composition of blood, collection of blood and anticoagulants, Hb estimation, TRBC count - ANAEMIAS, Preparation & staining of blood films, Leukopoiesis), TWBC & DWBC Count, Absolute values, ESR, PCV, Reticulocyte count, Platelet count, BT & CT

LE cell preparation, Sickling test, Osmotic fragility Bone Marrow Examination.

BLOOD BANKING

Blood Groups, Cross Matching, Coomb's test, Donor Screening, Blood Transfusion, & transfusion reactions, Blood Components

CLINICAL PATHOLOGY

Physical chemical & microscopic examination of urine, stool examination, Semen examination, CSF exam.

PARASITOLOGY

Parasites in Blood, stool & urine

MICROBIOLOGY

Morphology of Bacteria, Culture and isolation of bacteria, Gram positive and gram negative cocci and bacilli, Anaerobic spore bearing bacilli.

SEROLOGY

Antigen & Antibodies, Diagnosis of syphilis - VDRL & RA test., Widal test, ELISA test.

HISTOLOGY

Fixatives, Tissue processing, impregnation, Block making, Section Cutting, Basic staining of sections, Collection of tissues for histology, Method of Decalcification.

CYTOLGY

Techniques & equipments required, Fixatives and staining procedure

31/07/2023

SYLLABUS RADIOGRAPHER

559

Anatomy and Physiology of Human Body

Introduction to the body as a whole. The cells, Tissues, Epithelium: Simple: Compound, Connective Tissues, Muscles, Cell regeneration, Membranes: mucous, serous, synovial Osteology (including whole skeleton, bones and joints) Development of bone (osteogenesis): cells involved Types and function of bone, Types of joints and various movement. **Axial Skeleton:** Skull, Vertebral Column, Appendicular skeleton, Healing of bones. **The respiratory system:** Organs, Functions, Pharynx Larynx – Functions, lungs: lobes, lobules, pleura.

Radiographic, Photography

Photographic process, Photographic emulsions, Film materials in x-ray department. History, structure of an x-ray film, single sided films, types of films, Spectral sensitivity of film material, graininess of film material, speed and contrast of photographic material, **Sensitometry:** photographic density, characteristic curve features of the characteristic curve, **The storage of film materials and radiograph:** Storage of unprocessed films, storing of radiographs, **Intensifying screens and cassettes.** Luminescence: fluorescence and phosphorescence. Construction of an intensifying screen, The fluorescent materials. Types of intensifying screens. Intensification factor. The influence of KV, scattered radiation. Detail, sharpness and speed, size of the crystals, reciprocity failure, Cassette design, care of cassettes, mounting of intensifying screens, Care of intensifying screens, tests to check screen film contact and light leakage, **Film processing:** Development: The nature of development, manual, automatic. The PH scale, The constitution of developing solutions and properties of development chemicals, The development time, factors in the use of a developer. Developers in processing systems, **Film processing:** fixing and role of a fixing solution. Constitution of the fixing solutions and properties of the Constituents, Fixers used in automatic processors. Factors affecting the use of the fixer, Regeneration of fixing solution. Silver recovery and its various methods, Rinsing, washing and drying. Objects of rinsing and washing, methods employed. Methods of drying films, Preparation of solutions and making stock solution, **Processing equipment:** , **Dark room:** , **Systems for daylight film handling** , **The radiographic image** , Unsharpness in the radiographic image. Various factors contributing towards unsharpness, The presentation of the Radiograph. Identification markers and orientation. Documentary preparation, **Viewing accessories**, Light images and their recording, **Fluorography:** , **Subtraction:** , Common film faults due to manufacturing as well as due to chemical processing, Management of the quality of the Radiographic image.

ELEMENTARY RADIATION PHYSICS

Structure of matter and principles of machines, electricity and electromagnetism applied in radiological instruments. Physics principles in design and working of x-ray tube technology. Construction and working principles of transformers and autotransformers used in x-ray circuits. Measurement of voltage special KV meters. Measurement of tube current in milli and microamperes. Principles of thermionic emission and rectification in x-ray technology. High voltage D.C. circuits in imaging and therapy tube circuits. Electrical hazards and safety x-ray tube rating in imaging and therapy x-ray tubes and thermal safety. Introduction to intensity of radiation in general and its variation by distance. Introduction to eletroma-genetic spectrum, definition of wavelength and its quantum relationship with peak kilovoltage. Physical principles of radiation and optical field coverage and the factor affecting the field projected on patient during x-ray imaging and radiotherapy exponential and trigonometric functions used in radiological calculations.

Radiography Techniques

Skeletal system: Radiography techniques for x-ray of: (a) Upper limb with special reference to joint. (b) Lower limb which includes all the bones with special reference to joint. femur and metatarsals, etc. (c) Shoulder girdle and thorax. (d) Vertebral column with special techniques for cervical spine,

560

intervertebral joints and foramina. Limbo-sacral joint. (e) Pelvic girdle and hip region. (f) Respiratory system chest radiography for both the lungs, apical, lordotic and oblique views, techniques to decubitus AP and lateral views.

Anatomy and Physiology of Human Body:

Types of cells, tissues, bones and joints. Introduction to system and cavities of the body. Heart and Blood vessels, The Lymphatic System; The Digestive System; The Urinary System; The Reproductive System; Male & Female Reproductive system; The Endocrine System; The Organs of Sense:

RADIATION PHYSICS INCLUDING RADIATION PROTECTION

Atomic structure as applied to generation of x-rays and radioactivity spectrum of diagnostic imaging and therapy x-rays. Effects of variation of tube voltage, current, filtration, HT waveform and target material on x-ray production. Laws of radioactivity and decay schemes of different alpha, beta, gamma ray, negatron and position emitters as used in medicine especially in radiotherapy. Artificial radionuclide generators employed in medicine in general and radiotherapy sources in particular. Interaction of radiation with matter attenuation absorption and scattering phenomena. Photoelectric absorption, Compton scattering, pair production and annihilation process, ionisation, effects of geometry of thickness of the absorber. Dependence on the nature and atomic number of the absorber and on radiation quality. Transmission of x-ray through body tissues. Linear energy transfer. Range of secondary electrons and electron build up. Relative amounts of scatter from homogeneous and heterogeneous beam during the passage through a patient. Physical requirements of beam defining devices e.g. cones, diaphragm, collimators etc. Units of radiation measurement specification of quality and half-value thickness (HVT) and its measurements, filters and filtration. Measurements of radiation and dosimetric procedures. Radiation detectors and their principles of working. Definitions of Bragg-peak, percentage depth dose, and peak scatter factor, tissue air-ratio, tissue maximum ratios scatter air ratio, isodose curves and radiation penumbra of different beams. Wedge filters, scattering foils. Physics properties of phantoms, phantom materials, bonus and bolus substitutes. Factors used for treatment dose calculation method. Physical aspects of electron and neutron beam therapy.

Radiation Protection:

Definition of radiation hazards maximum permissible dose and annual limit of intake (ALI), permissible dose levels on and around sealed source housing and installation principles of radiation protection and MPD's of different ICRP rules, stochastic and non-stochastic effects. Importance of 'ALARA' physical principles of design and planning of radiation installation. Safe work practice in tele therapy and Brach therapy. Shielding materials, radiation surveys and personnel monitoring devices film badges. TLD badges, pocket dosimeters.

BASIC RADIOGRAPHIC TECHNIQUES

Skull: Radiography of cranial bones, cranium, sella turcica, orbit, optic foramina, superior orbital fissure and inferior orbital fissure. **Facial Bones:** **Dental Radiography:** **Abdomen:** **Macro radiography:** **Stereography:** **Soft tissue techniques:** , **Operation theatre techniques:**

Radiography:- techniques including special procedures.

Ventriculography and encephalography, Myelography, Angiography

26/12/18
JAN/2

O.T. TECHNICIAN

561

1. Introduction to surgery and basic surgical procedures
2. Sterilization of equipment and O.T. (Aphasia, Antisepsis & Fumigation.) & O.T. hygiene.
3. Surgical infection in O.T. & prevention anti Microbial therapy.
4. Fluids & electrolytes & intra venous fluids & setting up of IV line & Eletransfusa.
5. Shifting of O.T. patients (Pre & Post op.) Sp. trauma patients.
6. Various surgical instrument.
7. Maintenance & care of general & special surgical instruments & equipments.
8. Pre-Op requirements (case papers, Pt. identification, consent, pre-op instruments).
9. Positioning of patient for special surgical procedures.
10. Control of Hemorrhage & resusaration.
11. O.T. illumination.
12. Preparation of surgical field.
13. Assisting at operation & setting up of instrument trolley
 - (a) Gen. surgery.
 - (b) Uri. Surgery.
 - (c) Gastrointestinal surgery.
 - (d) Neurosurgery.
 - (e) Cardiovascular surgery.
 - (f) Orthopedic surgery.
 - (g) E.N.T surgery.
 - (h) Gynaeological & Obstetric surgery.
14. Surgical sutures.
15. Collection of specimens
16. Dressing material & their application.
17. Waste disposal.

get off

पाठ्यक्रम सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी

1. विषय— अस्थि एवं संधि (जोड़) विज्ञान।

1. प्राथमिक शरीर रचना।

2. कंकाल।

1. अक्षीय कंकाल

2. उपांगीय कंकाल

3. संधि विज्ञान (जोड़ विज्ञान)।

2. विषय— स्पलेन्कनोलॉजी एवं एस्थिसियोलॉजी।

1. स्पलेन्कनोलॉजी

2. एस्थिसियोलॉजी

3. विषय— शरीर के विभिन्न तंत्रों का अध्ययन।

1. पशु की प्राथमिक शारीरिक संरचना।

2. प्राथमिक पाचन तंत्र।

3. प्राथमिक श्वसन तंत्र।

4. प्राथमिक उत्सर्जन तंत्र।

5. तंत्रिका तंत्र।

4. विषय—अंतः स्त्रावी, प्रजनन, दुग्ध विषयक।

1. प्राथमिक अंतःस्त्रावी क्रिया विज्ञान।

2. प्रजनन तंत्र।

3. दुग्ध विषयक।

4. पशुओं की शरीर विकास प्रक्रिया एवं मौसम विज्ञान।

5. विषय—अंतः करण की चयापचय।

1. एन्जाइम।

2. कार्बोहाईड्रेट्स का चयापचय।

3. वसा का चयापचय।

4. प्रोटीन का चयापचय।

5. विटामिन्स।

6. विषय— कार्बोहाईड्रेट्स, वसा, प्रोटीन एवं नाभिकीय अम्लों का अध्ययन।

1. कार्बोहाईड्रेट्स का जीव रसायन।

2. लिपिड्स का जीव रसायन।
3. प्रोटीन का जीव रसायन।
4. नाभिकीय अम्ल का जीव रसायन।

7. विषय— साधारण पशु परजीवी विज्ञान और कृषि विज्ञान।।

 1. सिद्धांत
 2. सेस्टोड
 3. नेमाटोड

8. विषय— पशु कीट विज्ञान, अकेरोलॉजी, एवं प्रोटोजुआलॉजी।

 1. सिद्धांत

9. विषय— जीवाणु विज्ञान और फफूंदी विज्ञान का सामान्य परिचय।

 1. सिद्धांत
 2. प्रथम अध्याय
 1. सूक्ष्मजीव विज्ञान का परिदृश्य
 2. सूक्ष्मजीव विज्ञान का इतिहास
 3. सूक्ष्मदर्शी के प्रकार
 3. द्वितीय अध्याय
 1. जीवणुओं की संरचना, गुण, बढ़ाने एवं पहचानने की विधियाँ।
 4. तृतीय अध्याय
 1. जीवणुओं की संरचना, गुण, बढ़ाने एवं पहचानने की विधियाँ।

10. विषय— शारीरिक जीवाणु और फफूंदी रोग।

 1. सिद्धांत
 2. जीवाणुजनित रोग
 3. फफूंदीजनित रोग

11. विषय— सामान्य और शारीरिक विषाणु विज्ञान।

 1. सिद्धांत
 1. विषाणुओं की संरचनायें
 2. विषाणुओं को बढ़ाने की विधियाँ
 2. विषाणुजनित रोगों को जांचने की प्रयोगशाला विधियाँ

12. विषय— जनरल पशु रोग विज्ञान।

- 13. विषय—** विशेष पैथालॉजी।
- 14. विषय—** क्लीनिकल पैथालॉजी।
- 15. विषय—** पशु पोषण के भूलभूत सिद्धांत।
1. पशुओं के स्वास्थ्य व उत्पादकता में पोषक तत्वों का महत्व।
 2. पोषण में उपयोग होने वाली विभिन्न शब्दावी एवं उनकी परिभाषाएँ।
 3. पशु चारे व दाने की उपलब्धता, महत्व तथा खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण।
 4. रोमान्थी एवं अरौमान्थी पशुओं में पोषक तत्वों का पाचन।
- 16. विषय—** प्रौद्योगिकी।
1. निम्न स्तर के चारों का भौतिक व रसायनिक विधियों द्वारा उपचार कर पोषक तत्वों को बढ़ाना।
 2. दाने का प्रसंस्करण।
 3. पशुओं के खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए तैयार करना।
 4. हरे चारे का हे व साइलेज बनाकर संरक्षित करना।
 5. पशुओं के दाने व चारे में पाए जाने वाले हानिकारक तत्वों एवं सामान्य मिलावटों के बारे में जानकारी।
 6. पशुओं व पक्षियों के लिए फीड एडिटिव का उपयोग।
- 17. विषय—** रोमान्थी पोषण
1. पशुओं की वैज्ञानिक आहार पद्धति का महत्व।
 2. खाद्य मानकों का उपयोग तथा महत्व। संतुलित आहार एवं उनकी विशेषताएँ।
 3. आहार गणना के सामान्य सिद्धांत।
 4. गाय-भैंसों की विभिन्न अवस्थाओं जैसे वृद्धि, परिपक्व, गाभिन, दुग्धावस्था तथा सूखी शुष्क अवस्था के लिए आहार निर्धारण।
 5. भेड़ एवं बकरी की शरीर वृद्धि एवं उत्पादन की विभिन्न अवस्थाओं जैसे दूध, मांस, ऊन आदि के लिए आहार निर्धारण।
 6. नानप्रोटीन नाइट्रोजन तत्वों का रूमान्थी पशुओं में उपयोग।
- 18. विषय—** अरौमान्थी पोषण
1. मुर्गियों, सूकरों, घोड़ों के लिए आहार मानक।
 2. मुर्गियों, सूकरों व घोड़ों की विभिन्न शारीरिक अवस्थाओं के दौरान उनका भरण पोषण।
 3. फीड सप्लीमेंट।
- 19. विषय—** पशु प्रजनन
1. आनुवाशिकी परिचय— जीन— फीनोटाइप और जीनोटाइप, समरूप और विषमरूप, पशुओं में गुणसूत्र संख्या, शब्दावली, मेंडेल के नियम, पशुओं और मुर्गियों में लिंग निर्धारण, जैनेटिक विविधता।
 2. घरेलू जानवरों की मूल विशेषताएँ।
 3. पशुओं और मुर्गियों के आर्थिक गुण और उनके महत्व।

4. पशु चुनाव: उत्तर चयन (Response to Selection), और इस प्रभावित करने वाले कारक।
5. पशु सुधार प्रणाली और चयन के तरीके।
6. शुद्ध ब्रीडिंग : अतः प्रजनन पद्धति करीब प्रजनन और अंतर वंश प्रजनन, अतः प्रजनन पद्धति के जेनेटिक प्रभाव, फायदे और नुकसान।
7. संकर प्रजनन: पशुधन प्रक्षेत्रों में रखे जाने वाले पशुओं में संकर प्रजनन का प्रभाव, आनुवांशिक प्रभाव, फीनोटापिक प्रभाव, भिन्नश्रय (Herosis) और संकर शक्ति (Hybrid vigour), संकर प्रजनन से लाभ, श्रेणी उन्नयन (Grading Up)।
8. राज्य में पशुओं और मुर्गियों हेतु चल रहे वर्तमान प्रजनन कार्यक्रम।

20. विषय— पशुओं के रखरखाव का सामान्य अध्ययन।

1. भारत वर्ष में पशुधन का महत्व।
2. पालतू पशुओं का वर्गीकरण।
3. पशु उत्पादन में उपयोग की जाने वाली सामान्य शब्दावली।
4. भारतीय मानचित्र पर गाय, भैंस, बकरी एवं भेड़ की प्रजातियों की जानकारी।
5. गाय, भैंस, बकरी एवं भेड़ की विभिन्न प्रजातियों एवं उनके लक्षण।
6. पशुओं का शरीरिक मापदण एवं चिन्हीकरण।
7. पशुओं की उम्र एवं दत्त विन्यास।
8. सामान्य प्रक्षेत्र प्रबंध की विधियों जैसे पृथक्कीकरण कीटाणु रहित करना एवं मृत पशु का विनिष्टिकरण।
9. पशुओं की बुरी आदतें एवं रोकथान की उपाय।
10. पशु शाला का निर्माण एवं स्थल चयन, भारतीय परिवेश में पशु शाला का निर्माण विभिन्न प्रजातियों के लिए लगने वाली जगह का मापदण।
11. पशु प्रजनन हेतु नर एवं मादा का चयन।
12. पशुओं से दुग्ध, मांस एवं ऊन प्राप्त करने के लिए आवश्यक आर्थिक गुण।
13. पशुओं के प्रजनन की विभिन्न विधियों एवं उनसे लाभ, हानि।
14. पशुओं के प्रजनन की विभिन्न अवस्थाओं जैसे वत्स, क्लोर, गाभिन, शुष्क, दुधारू एवं नर पशु के आहार के संबंध में जानकारी।
15. पशुओं में दुग्ध, मांस एवं ऊन उत्पादन के लिए सामान्य आहार व्यवस्था।
16. दुग्ध दुहने की विभिन्न विधियाँ।
17. पशु दुग्ध उत्पादन की विधि।
18. स्वच्छ दुध उत्पादन की विधि।
19. भेड़ों से ऊन प्राप्त करने की विधियों एवं लाभ, हानि।
20. ऊन के विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक गुणदोष।
21. ऊन की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारक।
22. पशु मेला एवं गौशाला का रखरखाव।

21. विषय— सूकर, अश्व एवं खरगोश का प्रबंधन।

1. सूकर प्रबंधन
2. अश्व प्रबंधन
3. खरगोश प्रबंधन

22. विषय— सामान्य एवं आंगिक भेषज विज्ञान।

1. भेषज विज्ञान एक परिचय
2. औषधि परिभाषाएँ: दवाओं के विभिन्न स्त्रोत एवं किया।
3. तंत्रानुसार दवाओं का नामकरण एवं परिभाषाएँ, उदाहरण एवं उपयोग।

23. विषय— कीमोथेरेपी एवं विष विज्ञान।

1. जीवाणु रोधी औषधियां, सल्फ औषधियां, पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, अमाइनोगलाइकोसाइड, मैक्रोलिड टेट्रासाइकिकिन, किनोलेन, फ्लूरोकिनालेन, चिकित्सीय एवं नैदानिक उपयोग।
 2. कवक रोधी औषधियाँ, चिकित्सीय एवं नैदानिक उपयोग।
 3. पेट के कीड़ों के विरुद्ध औषधियाँ, एन्टीट्रिमेटोडल एंटी सिसटोडल, एंटी निमेटोडल औषधियाँ।
 4. प्रोटोजोआ के विरुद्ध औषधियाँ, एंटी ववेसियल, एंटी थायलेरियल औषधियाँ।
 5. बाह्य परजीवियों के विरुद्ध औषधियाँ।
 6. देशी दवायें।
 7. निस्क्रमक एवं एंटी सेप्टिक।
 8. विष विज्ञान सामान्य परिचय
- इतिहास, पृष्ठ भूमि,, परिभाषा, स्त्रोत, विष के प्रकार, निदान व उपचार के सामान्य सिद्धांत।

24. विषय— पशु पालन विस्तार।

1. ग्रामीण विकास के लिये विस्तार शिक्षा की भूमिका।
2. श्वेत क्रांति में राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की भूमिका।
3. डेरी विकास, पशु प्रजनन एवं नस्ल सुधार में सरकारी संगठनों की भूमिका।
4. पशु प्रजनन एवं नस्ल सुधार में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका।
5. कृषि एवं पशुपालन के लिए वित्त पोषण योजनायें।
6. पशुओं की बीमा व्यवस्था।

25. विषय—व्यवसायिक अण्डोत्पादक मुर्गियों एवं भक्ष्य पक्षियों (ब्रायलरों) की प्रबंधन व्यवस्था।

1. कुकुट उत्पादन हेतु आवश्यक सामान व संयंत्र।
2. चूजों एवं ब्रायलरों का प्रबंध।
3. पठोर मुर्गियों का प्रबंधन, स्वजाति भक्षण, चोंच कुतरना व आहार नियंत्रण।

4. अण्डोत्पादक व व्यवसायिक मुर्गियों व ब्रायलरों के जनकों का प्रबंध।
5. मुर्गी आहार के पोषक तत्व आहार घटक का परीक्षक।
6. विभिन्न कुक्कुट वर्गों की आहार आवश्यकतायें।
7. आहार निर्माण व परोसने की विधियाँ।
8. पेयजल की गुणवत्ता, संग्रह व स्वच्छता।
9. प्रत्याबल व उससे बचाव।
10. बतख, टर्की व जापानी बटेर पालन की विशेषतायें व प्रबंध।
11. कुक्कुट रोग, उनके नियंत्रण व उपचार के उपाय, टीकाकरण व सावधानियाँ।

26. विषय— कुक्कुट उत्पादन एवं प्रबंध।

1. कुक्कुट, उत्पादन एवं प्रबंध का महत्व, आवश्यकतायें व विशेषतायें।
2. मुर्गी, टर्की, जापानी बटेर बतख पक्षियों की शुद्ध व उन्नत नस्लें।
3. मुर्गियों की शारीरिक संरचना।
4. पाचन संस्थान।
5. जनन संस्थान, कृत्रिम गर्भाधारन।
6. अण्डा व कुक्कुट मांस की पोषण क्षमता।
7. ऊष्मायन हेतु अण्डों का चुनाव, संचयन रखना, अण्डों की सफाई व जीवाणु रहित करना, धूम्रीकरण, ऊष्मायन के लिए अधिकतम अनुकूल परिस्थितियाँ, उर्वरता एवं निर्गमन क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक।
8. कुक्कुट गृह की संरचना को प्रभावित करने वाले कारक, विभिन्न कुक्कुट गृह व आवास की परिस्थितियाँ। गहरी बिछाली व पिंजरा पद्धति की लाभ व हानियाँ कुक्कुट आवास की संरचना।
9. अण्डा व मांस का पोषण में महत्व।
10. मुर्गीपालन व ब्रायलर पालन से प्राप्त आय को प्रभावित करने वाले कारक।
11. 1000 ब्रायलरों के प्रक्षेत्र के आय व्यय का विवरण व प्रोजेक्ट रिपोर्ट।
12. 1000 व्यवसायिक अण्डा उत्पाद मुर्गियों के आय व्यय का विवरण व प्रोजेक्टर रिपोर्ट।
13. अण्डों व मांस का वर्गीकरण व विपणन की विधियाँ।
14. मुर्गियों को मारने व ड्रेस करने की विधियाँ।
15. मांस व अण्डों का मूल्य संवर्धन, विभिन्न सह उत्पाद, शीत संग्रह व विपणन।

27. विषय— पशुओं के संक्रामक रोग।

1. रक्त परिवहन तंत्र से संबंधित रोग।
2. पाचन तंत्र।
3. मूत्र/जनन तंत्र।
4. स्नायू तंत्र के रोग।
5. उपाचय तंत्र।

गुरुवार 25/10/2023

6. आंख की बीमारी।

28. विषय— पशुओं के संक्रामक रोग।

1. जीवाणु जनित रोग— कारण, लक्षण, उपचार एवं रोकथाम।
2. परजीवी जनित रोग— कारण, लक्षण, उपचार एवं रोकथाम।
3. आंतरिक परजीवी जनित रोग— कारण, लक्षण, उपचार एवं रोकथाम।

29. विषय— पशु शल्य चिकित्सा विज्ञान का प्रारंभिक परिचय।

1. पशु शल्य चिकित्सा परिचय व विवरण।
2. शल्य चिकित्सा के सिद्धांत, शल्य चिकित्सा से पूर्व व पश्चात् की जाने वाली तैयारियाँ व जानकारी।
3. त्वचार व अन्य अंगों में लगाये जाने वाले टांकों की सामग्री, तरीके व गठानों के प्रकार।
4. एसेप्सिस, एन्टसेप्सिस व डिस्हन्फेक्शन विवरण एवं प्रकार।
5. सामान्य शल्य चिकित्सा के औजार व अन्य सामग्री और उनका स्टेरिलाइजेशन।
6. इन्फलेमेशन, फोड़ा, ड्यूमर, सिस्ट, हानियाँ, अल्सर, साइनस, फिस्चुला के लक्षण एवं उपचार।
7. घाव के प्रकार, उपचार एवं विषम परिस्थितियों में प्रबंधन।
8. रक्त स्त्राव को रोकना, शॉक, हीमोमा का प्रारंभिक उपचार।
9. नेक्रोसिस, गैंग्रीन, शुष्क, भाप व ठण्ड से जलना, हड्डी का टूटना व जोड़ से उतरना एवं इनकी प्राथमिक चिकित्सा।

30. विषय— पशु शल्य चिकित्सा एवं शल्य क्रिया।

1. निश्चेतना संक्षिप्त परिचय एवं निश्चेतना में पशुओं की देखभाल।
2. क्ष: रश्मि— संक्षिप्त परिचय एवं रेडियोग्राफी के लिए उनकी पोजीशन एवं देखभाल।
3. विशेष शल्य क्रियाओं में आपरेशन के बाद पशुओं की देखभाल।
4. विभिन्न प्रकार के पट्टी बंधन एवं प्लास्टर लगाना।
5. विशेष परिस्थितियों में लघु शल्य क्रियाओं का परिचय।
6. शल्य चिकित्सा में प्राथमिक स्तर की दवाइयों के उपयोग की जानकारी।

31. विषय— सामान्य मादा प्रजनन एवं प्रसूति विज्ञान।

1. पालतू मादा पशुओं के प्रजनन अंगों की जानकारी।
2. शारीरिक विकास, यौवन अवस्था एवं यौवन परिपक्वता।
3. पालतू पशुओं में ऋद्धुचक्र एवं ऋद्धु (गर्भी) के लक्षण।
4. ऋद्धुचक्र के दौरान प्रजनन अंगों की जांच।
5. पालतू पशुओं में जेर के प्रकार, कार्य, गर्भावस्था की समयावधि एवं विभिन्न अवस्थाएँ।
6. गुदा मार्ग द्वारा गर्भ परीक्षण एवं तुलनात्मक परीक्षण।
7. गर्भावस्था के दौरान होने वाली बीमारियाँ एवं समस्याएं।
8. मादा पशुओं में प्रसव के बाद होने वाली समस्याएं।

9. मादा पशुओं का बार-बार गर्मी पर आना।
 10. पालतू पशुओं में प्रसव क्रिया।
 11. प्रसव में आने वाली कठिनाइयां, जांच एवं निदान।
- 32. विषय—** नर प्रजनन एवं कृत्रिम गर्भाधान।
1. नर जननांगों एवं वृषण का तुलनात्मक अध्ययन।
 2. शारीरिक परिपक्वता एवं प्रजनन अंगों का विकास।
 3. नर पशुओं में बांझपन के प्रकार, सामान्य जानकारी, जांच एवं उपचार।
 4. संभोग के दौरान प्रजनन अंगों में चोट एवं अन्य संक्रमण।
 5. वृषण अंगों का क्षय।
 6. वृषण अंगों के आकार का सामान्य से छोटा होना।
 7. कृत्रिम गर्भाधान के लाभ एवं सीमायें।
 8. विभिन्न पालतू पशुओं में वीर्य एकत्रित करने की विधियाँ।
 9. कृत्रिम गर्भाधान की विधियाँ।
 10. वीर्य परीक्षण।
 11. वीर्य को तरल करने की विधि एवं संरक्षण।
 12. वीर्य का संग्रहण एवं स्थानान्तरण।

- 33. विषय—** पशुचारा उत्पादन(भाग-1)
1. मध्यप्रदेश में चारे की स्थिति एवं चारा उत्पादन बढ़ाने हेतु कार्य योजना।
 2. रासायनिक खादों का सशक्त विकल्प – वर्मी कम्पोस्ट।
 3. मौसम परिवर्तन एवं चारा उत्पादन।
 4. चंद्रशूर की वैज्ञानिक खेती।
 5. हरा चारा : जई की उन्नत उत्पादन तकनीकी।
 6. रिजका (Lucerne)।
 7. मध्यप्रदेश की नई चारा फसल – राजमूँग।
 8. लोबिया की उत्पादन तकनीकी।

- 34. विषय—** पशुचारा उत्पादन(भाग-2)
1. जैविक खेती एवं जैविक पोषक तत्वों के स्त्रोत एवं प्रबंधन।
 2. बाजरा का उत्पादन।
 3. चारा का परीक्षण एवं सूखे चारे की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु उन्नत तकनीक।
 4. कृषि एवं औषधि क्षेत्र में गोबर व गौमूत्र का आर्थिक महत्व।
 5. बरसीम का उत्पादन।
 6. हरे चारे की फसल मक्का।
 7. नेपियर घास से भरपूर चारा कैसे लें।
 8. हरी खाद।

जैविक
पशुचारा

प्रारूप-1प्रश्न-पुस्तिका के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन

(देखें नियम 3.12 एवं 3.13)

(नोट— यह प्रपत्र केवल परीक्षार्थी द्वारा ही भरकर निर्धारित समयावधि तक
मण्डल कार्यालय में उपलब्ध कराने पर विचार क्षेत्र में लिया जाएगा)

परीक्षा का नाम	
अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यर्थी का नाम	
अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र	
अभ्यर्थी का सेट क्रमांक	

उपरोक्त परीक्षा के प्रश्न-पत्र में निम्नलिखित प्रश्न उल्लेखित कारणों से त्रुटिपूर्ण है :-

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है। कृपया उक्त प्रश्नों के त्रुटि का निराकरण करने का कष्ट करें।

स्थान

आवेदक के हस्ताक्षर.....

दिनांक.....

आवेदक का नाम.....

प्रारूप-2आदर्श उत्तरों पर आपत्ति हेतु अभ्यावेदन

(देखें नियम 3.12 एवं 3.13)

(नोट— यह प्रपत्र केवल परीक्षार्थी द्वारा ही भरकर निर्धारित समयावधि तक मण्डल कार्यालय में उपलब्ध कराने पर विचार क्षेत्र में लिया जाएगा)

परीक्षा का नाम	
अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यर्थी का नाम	
अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र	
अभ्यर्थी का सेट क्रमांक	

मण्डल की वेबसाइट पर प्रदर्शित सेट क्रमांक के आदर्श उत्तर में निम्नलिखित उत्तर त्रुटिपूर्ण है :-

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है।

स्थान आवेदक के हस्ताक्षर.....

दिनांक आवेदक का नाम.....

५७२

Professional Examination Board

प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड



Predefined Template

फोटो / Photo

Box-1

हस्ताक्षर / Signature

Box-2

निर्देश / Instruction(हस्ताक्षर / Signature)

- अपना पूरा हस्ताक्षर बॉक्स-2 के अंदर करें, अँग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे
- Do your full signature within box-2, signature in capital letter or more than one singnature should be invalid

निर्देश / Instruction(फोटो / Photo)

- फोटोग्राफके निचले हिस्से पर फोटो खिचवाने की दिनांक व आवेदक का नाम स्पष्ट होना चाहिएतथा यह आवेदन करने की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए
- Photograph of the candidate should bear his/ her name and the date on the front of the lower part of photograph and it should not old more than 3 months from application date

स्व-घोषणा / Self-declaration:

मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन में दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी किसी भी स्तर पर झूठीया पात्रता मापदंडकी आवश्यकताओं अनुसार संतोषजनक नहीं पाई जाती है तो मेरी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

अथवा / Or

I hereby declare that all statements made in this application are true to the best of my knowledge and belief.
If any information being found false at any stage or not satisfying the eligibility criteria according to the requirements, my candidature is liable to be cancelled.

स्व-घोषणा / Self-declaration

(ऊपर दिए गए घोषणा को बॉक्स-3 के अंदर अपने लेखन में कॉपी करें/ Copy in your running hand writing in box-3, the declaration given above)

Box-3

प्रारूप-4भुगतान प्राप्त करने के लिये स्वयं के बैंक खाते का विवरण

1. परीक्षा का नाम :
2. परीक्षा की तिथि / पॉली / समय :
3. परीक्षा केन्द्र का नाम :
4. परीक्षार्थी का नाम (हिन्दी में) :
- (जैसा बैंक खाते में है)
5. परीक्षार्थी का नाम (अंग्रेजी में) :
6. परीक्षार्थी का रोल न. :
7. बैंक का नाम :
8. बैंक शाखा का नाम :
9. बैंक का IFS Code :
10. बैंक खाता क्रमांक :
11. परीक्षार्थी का गृह जिला :
12. गृह जिले से परीक्षा केन्द्र की दूरी :
13. यात्रा का प्रकार :
14. यात्रा व्यय की राशि :

दिनांक.....

हस्ताक्षर

निवास का पूर्ण पता

**मध्यप्रदेश के आदिम जनजाति समुदाय जैसे:-बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति के
अध्यर्थियों हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप**

परीक्षा का नाम:- समूह-५ के अन्तर्गत फार्मासिस्ट, प्रयोगशाला तकनीशियन, रेडियोग्राफर, नेत्र सहायक, लेब टेक्निशियन एवं अन्य रिक्त पदों की पूर्ति हेतु भर्ती परीक्षा-२०१७

1.	आवेदक का नाम	:-	आवेदक का नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ संलग्न करे
2.	पिता का नाम	:-	
3.	माता का नाम	:-	
4.	लिंग (पुरुष/महिला)	:-	
5.	जन्मतिथि	:-	
6.	आदिम जनजाति का नाम	:-	
7.	वर्ग (विकलांग/भूतपूर्व सैनिक)	:-	
8.	शैक्षणिक योग्यता का विवरण	:-	
9.	कार्यअनुभव का विवरण	:-	
10.	विशेष/अन्य विवरण	:-	
11.	पदों के लिये विभागों के चयन का विकल्प (नियम पुस्तिका के अध्याय-०२ अनुसार) :-		

संक्र.	विभाग के चयन	पदक्रम
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर :-.....

दिनांक :-.....

निवास का पता :-.....

मोबाइल/दूरभाष नं. :-.....

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मध्यप्रदेश

क्रमांक /2017/

दिनांक

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी/श्रीमती—

पुत्री/पत्नि श्री —————— इस कार्यालय के अधीनस्थ
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा पर महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य[ि]
कार्यकर्ता के पद पर दिनांक —————— से आज दिनांक ————— तक
निरंतर कार्यरत है।

हस्ताक्षरकर्ता

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
का नाम व पद मुद्रा